अंक 32 । संख्या 5 । मई 2025

सर्वे भवन्तु सुखिनः

मानव अधिकार

न्यूज़लेटर

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत का मासिक प्रकाशन

अप्रैल, 2024 से मार्च, 2025 तक एनएचआरसी, भारत की उपलब्धियां

मानव अधिकार
न्यूज़लेटर

अंक 32 । संख्या 5 । मई 2025

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

अध्यक्ष
न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन

सदस्य
न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षडंगी
श्रीमती विजया भारती सयानी
श्री प्रियंक कानूनगो

महासचिव
श्री भरत लाल

संपादक
जैमिनि कुमार श्रीवास्तव
उपनिदेशक (मीडिया एवं संचार), एनएचआरसी

यह सामग्री आयोग की वेबसाइट www.nhrc.nic.in पर भी उपलब्ध है। गैर-सरकारी तथा अन्य संगठन आयोग के मानव अधिकार न्यूज़लेटर में प्रकाशित लेखों के व्यापक प्रसार हेतु आयोग का आभार मानते हुए पुनः प्रकाशित कर सकते हैं।

विषय-वस्तु

मासिक विवरण

3 महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी की डेस्क से

4 महत्वपूर्ण हस्तक्षेप
5 स्वतः संज्ञान
6 राहत के लिए संस्तुतियां
7 पीड़ितों को राहत राशि का भुगतान
7 केस स्टडीज़

क्षेत्रीय दौरा
9 एनएचआरसी, भारत के सदस्यों का दौरा
10 विशेष प्रतिवेदकों और विशेष मॉनीटरों का दौरा

क्षमता निर्माण कार्यक्रम
12 छात्रों का ज्ञानार्जन दौरा

अतंरराष्ट्रीय स्तर पर एनएचआरसी
13 वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक समूह/आईएमएफ की वसंत बैठक
14 व्यापार और मानव अधिकार पर गनहरी कार्य समूह की बैठक

भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री राम नाथ कोविंद एनएचआरसी, भारत के मासिक प्रकाशन मानव अधिकार न्यूज़लेटर को पढ़ते हुए

15 **नव नियुक्ति**
15 **राज्य मानव अधिकार आयोगों से समाचार**
18 **संक्षेप में समाचार**
21 **आगामी कार्यक्रम**
21 **अप्रैल, 2025 में शिकायतें**
22 **अप्रैल, 2024 से मार्च, 2025 तक एनएचआरसी, भारत की उपलब्धियां**

एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन, महिला दिवस के अवसर पर आयोग में आयोजित एक कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए

मासिक विवरण

महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी की डेस्क से

22 अप्रैल, 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में हुए एक जघन्य आतंकवादी हमले के बाद पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई, जहाँ कई पर्यटकों को उनके धर्म के आधार पर बेरहमी से मार दिया गया। यह बर्बर कृत्य इस बात की एक और भयावह याद दिलाता है कि आतंकवाद किस तरह मानवता को कलंकित कर रहा है। हमारी गहरी संवेदनाएँ उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों की अपूरणीय क्षति झेली है। भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने हमले की कड़ी निंदा की है और निर्णायक कार्रवाई का आग्रह किया है, जिसमें जवाबदेही, अपराधियों को न्याय के दायरे में लाना और पीड़ित परिवारों के लिए व्यापक सहायता की मांग की गई है। इस संस्करण में इस संबंध में आयोग द्वारा जारी किया गया सार्वजनिक बयान है।

इस घटना से कुछ दिन पहले, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में एक और बड़ी मानवीय आपदा हुई थी, जिसमें दंगों की खबर आई; जिससे जान-माल का नुकसान हुआ और लोगों को पास के मालदा जिले में पलायन करना पड़ा था। आयोग ने मामले की मौके पर जांच के लिए अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों की एक टीम को तैनात किया। इस संस्करण में हस्तक्षेप पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट दी गई है।

एनएचआरसी, भारत मानवीय गरिमा और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसी भावना के साथ, इसने 11 राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भी भेजे हैं, जो गर्मी की लहरों से अधिक प्रभावित हैं, और उनसे आग्रह किया है कि वे इसके प्रभाव को कम करने के लिए सक्रिय कदम उठाएं, खासकर बेघर जैसे कमजोर वर्ग के लोगों पर। कार्रवाई के लिए यह आह्वान जीवन के संरक्षण एवंहाशिए पर पड़े लोगों के अधिकारों को बनाए रखने के लिए आयोग की व्यापक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

एनएचआरसी, भारत वैश्विक मानव अधिकार चर्चा में सक्रिय रूप से शामिल है, जो सम्मान, समानता और सतत विकास की वकालत करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मंचों पर योगदान देता है। 23 अप्रैल , 2025 को विश्व बैंक समूह और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की वसंत बैठक में, मैंने *'शहरों का सशक्तिकरण: शहरी बुनियादी ढांचे और नौकरियों को वितरित करने में उप-राष्ट्रीय वित्तपोषण की महत्वपूर्ण भूमिका'* शीर्षक वाले सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वहां, मैंने भारत की प्रगति और अभिनव शासन रणनीतियों को साझा किया, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए सम्मान सुनिश्चित करना और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। इस महत्वपूर्ण घटना पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट न्यूज़लेटर के इस संस्करण में शामिल की गई है।

अप्रैल में वैश्विक स्तर पर कुछ प्रमुख आयोजनों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया: 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 22 अप्रैल, 2025 को पृथ्वी दिवस। दोनों दिन मानव अधिकार, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच के अंतरसंबंध की शक्तिशाली याद दिलाते हैं। वे सभी के लिए सम्मान, कल्याण और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने में सामूहिक वैश्विक कार्रवाई के महत्व को रेखांकित करते हैं।

इस अंक में एनएचआरसी, भारत के सदस्यों की पूरे महीने की यात्राओं और प्रमुख कार्यक्रमों पर विस्तृत रिपोर्ट भी शामिल है, जो आयोग की निरंतर वकालत और कार्रवाई का व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है।

अंत में, इस संस्करण में एनएचआरसी, भारत पर एक विशेष पूर्वव्यापी खंड है, जिसमें अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक की महत्वपूर्ण उपलब्धियां बताई गई हैं। यह पिछले साल के दौरान आयोग के प्रयासों पर प्रकाश डालता है - परामर्श और सेमिनार से लेकर व्यक्तिगत शिकायतों को संबोधित करने तक - सभी का उद्देश्य देश भर में मानव अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। इन पहलों का उद्देश्य आयोग के काम पर पूर्वव्यापी रूप से विचार करना और समीक्षा करना है ताकि एक अधिक न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज बनाने के अपने दृढ़ संकल्प के हिस्से के रूप में अपनी भविष्य की रणनीतियों को आकार दिया जा सके जिसमें सभी के मानव अधिकारों की रक्षा की जाए।

हम आशा करते हैं कि आप इस संस्करण को जानकारीपूर्ण, विचारोत्तेजक और एनएचआरसी, भारत के हर क्षेत्र में मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के सतत मिशन का प्रमाण पाएंगे।

[भरत लाल]
महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

महत्वपूर्ण हस्तक्षेप

एनएचआरसी के बयान में पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की गई

(केस संख्या 77/9/1/2025)

"राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत 22 अप्रैल, 2025 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में आतंकवादियों द्वारा उनकी आस्था की पहचान करने के बाद 28 लोगों की हत्या की खबर से बहुत व्यथित है।

आयोग घाटी में छुट्टियां मनाने आए निहत्थे और बेखौफ निर्दोष नागरिकों पर हुए इस कायरतापूर्ण हमले की निंदा करता है। इस घटना ने हर सही सोच वाले इंसान की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है और यह निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के मानव अधिकारों के उल्लंघन का एक गंभीर मुद्दा है।

विभिन्न मंचों पर बार-बार कहा गया है कि आतंकवाद दुनिया में मानव अधिकारों के उल्लंघन के सबसे बड़े कारणों में से एक है। अब समय आ गया है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने, समर्थन देने और सहायता करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें इस खतरे के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। अन्यथा, इसका परिणाम लोकतांत्रिक स्थान का सिकुड़ना, धमकी, प्रतिशोध, समुदायों के बीच सद्भाव और जीवन, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और आजीविका के अधिकार सहित विभिन्न मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन हो सकता है।

यह उम्मीद की जाती है कि राज्य जवाबदेही तय करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा; अपराधियों को न्याय के दायरे में लाएगा और पीड़ित परिवारों को हर संभव तरीके से सहायता प्रदान करेगा।"

मुर्शिदाबाद दंगा: एनएचआरसी ने घटनास्थल की जांच के लिए टीम तैनात की

(केस नं. 541/25/13/2025)

15 अप्रैल, 2025 को , राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने हिंदू समुदाय के लोगों की आगजनी, लूटपाट और विस्थापन की घटना के बारे में शिकायतों का संज्ञान लेते हुए एक मामला दर्ज किया और कहा कि 11 अप्रैल, 2025 को मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ गुंडों द्वारा पिता और पुत्र की कथित रूप से हत्या कर दी गई थी। कथित तौर पर, एक और व्यक्ति की मौत हो गई, और हिंदू समुदाय के पुरुषों और महिलाओं और उनकी संपत्तियों पर हमला किया गया, लेकिन मुर्शिदाबाद जिले की पुलिस द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण उनका बड़े पैमाने पर पलायन पड़ोसी मालदा जिले में हो गया।

इस बीच, आयोग को 15 अप्रैल, 2025 की तारीख़ की एक और शिकायत मिली , जिसमें मामले में हस्तक्षेप की मांग की गई। कथित तौर पर, कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ या तो उदासीन दिखीं या अपराधियों द्वारा की गई हिंसा के कृत्यों में मिलीभगत रखती थीं। इसके अलावा, शिकायत में उल्लेख किया गया है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस विषय पर एक याचिका पर विचार करते हुए, प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती का आदेश दिया है, यह देखते हुए कि स्थिति "गंभीर और अस्थिर" थी। आयोग ने 17 अप्रैल, 2025 की कार्यवाही के ज़रिए दोनों मामलों को एक साथ जोड़ दिया।

इसने पाया कि शिकायतों में लगाए गए आरोप और कलकत्ता उच्च न्यायालय की टिप्पणियों से मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन होने का संकेत मिलता है। इसलिए, इसने डीजी (आई), रजिस्ट्रार (विधि) और एक महिला एसएसपी सहित अपने वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम को मालदा में शरणार्थी शिविर का दौरा करने के लिए नियुक्त करना उचित समझा, ताकि घटनाओं से संबंधित तथ्यों का पता लगाया जा सके और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके। 18 अप्रैल, 2025 को एनएचआरसी की घटनास्थल जांच टीम ने एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसके आधार पर आयोग ने फैसला किया कि एक सदस्य को उस स्थान का दौरा करना चाहिए। इसलिए, एनएचआरसी की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी 19 अप्रैल, 2025 को आयोग की जांच टीम में शामिल हुईं।

इसके अलावा, एनएचआरसी, भारत को पश्चिम बंगाल राज्य मानव अधिकार आयोग से दिनांक 23 अप्रैल, 2025 को एक ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें कहा गया था कि उसने डब्ल्यूपीए (पी) संख्या 153/2025 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में तीन अधिकारियों की समिति में अपने रजिस्ट्रार (विधि) को नामित किया है, जिसमें पैरा 21 में उसने निम्नानुसार निर्देश दिया था:

"इस मामले में उपर्युक्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर विचार करते हुए और विस्थापित व्यक्तियों की पहचान, पुनर्वास और एफआईआर दर्ज करने से संबंधित मुद्दे को हल करने और पुनर्वास होने तक उनके कल्याण के लिए, हम तीन अधिकारियों वाली एक समिति का गठन करना उचित समझते हैं जो स्थिति की निगरानी और समन्वय करेगी। समिति में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, पश्चिम बंगाल मानव अधिकार आयोग के एक अधिकारी और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव शामिल होंगे।"

इसलिए, जैसा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था, पश्चिम बंगाल राज्य मानव अधिकार आयोग की तरह राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने भी एक न्यायिक अधिकारी अर्थात अपने रजिस्ट्रार (विधि) को समिति के तीन सदस्यों में से एक के रूप में नामित किया, जो मुर्शिदाबाद जिले के विस्थापित लोगों के पुनर्वास की स्थिति का पता लगाने के लिए 27 और 28 अप्रैल, 2025 को दंगा प्रभावित क्षेत्रों में मौके पर जांच के लिए गए थे।

भीषण गर्मी: 11 राज्यों से निवारक उपाय करने को कहा गया

गर्मियों के दौरान, खासकर देश के उत्तरी, मध्य और पश्चिमी हिस्सों में पड़ने वाली भीषण गर्मी को देखते हुए, भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने 11 हीटवेव प्रवण राज्यों से कहा है कि वे कमजोर लोगों, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, बाहरी कामगारों, बुजुर्गों, बच्चों और बेघर लोगों की सुरक्षा के लिए तत्काल एहतियाती कदम उठाएं, जो पर्याप्त आश्रय और संसाधनों की कमी के कारण जोखिम में हैं। गर्मी और लू के कारण 2018 से 2022 के बीच 3,798 लोगों की मौत के बारे में एनसीआरबी के आंकड़ों पर प्रकाश डालते हुए, आयोग ने एकीकृत और समावेशी उपायों की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है।

आयोग ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और राजस्थान के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में आश्रयों की व्यवस्था, राहत सामग्री की आपूर्ति, कार्य घंटों में संशोधन और गर्मी से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए मानक प्रक्रियाओं की उपलब्धता की मांग की है।

राज्यों को भेजे अपने पत्र में आयोग ने गर्मी की लहरों के प्रभाव को कम करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के दिशानिर्देशों को दोहराया है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- गर्मी से संबंधित बीमारियों के उपचार और उपचार प्रोटोकॉल के लिए मानक प्रक्रियाओं की स्थापना और कार्यान्वयन;
- स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और सामुदायिक हॉल जैसे सार्वजनिक स्थानों को पर्याप्त वेंटिलेशन, पंखे, पेयजल और बुनियादी चिकित्सा आपूर्ति के साथ सक्रिय करना;
- अनौपचारिक बस्तियों और श्रमिक कॉलोनियों में रहने वाले परिवारों को पंखे, ठंडी छत बनाने की सामग्री और ओआरएस पाउच की आपूर्ति करना; तथा
- कार्य समय में संशोधन करें, छायादार विश्राम क्षेत्र उपलब्ध कराएं, जलयोजन सहायता उपलब्ध कराना तथा सुरक्षात्मक कपड़ों के उपयोग को प्रोत्साहित करना।

इन राज्यों को मौजूदा मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) या एनडीएमए द्वारा गर्मी की लहरों के प्रभाव को कम करने के लिए राज्यों को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार गर्मी की लहरों से प्रभावित लोगों के जीवन की रक्षा के लिए की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।

स्वतः संज्ञान

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के लिए मानव अधिकार उल्लंघन की घटनाओं के बारे में जानने के लिए मीडिया रिपोर्ट बहुत उपयोगी साधन रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में आयोग ने मानव अधिकार उल्लंघन की घटनाओं के बारे में स्वतः संज्ञान लिया है। और मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को राहत पहुंचाई। अप्रैल, 2025 के दौरान, आयोग ने मीडिया द्वारा रिपोर्ट किए गए कथित मानव अधिकार उल्लंघन के 09 मामलों में संज्ञान लिया तथा संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट के लिए नोटिस जारी किए गए। इनमें से कुछ मामलों का सारांश इस प्रकार है:

विरोध प्रदर्शन को कवर कर रहे पत्रकार को हिरासत में लिया गया

(केस नं. 55/3/24/2025)

25 मार्च, 2025 को मीडिया में खबर आई कि असम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड के सामने धरना प्रदर्शन को कवर करने वाले एक डिजिटल न्यूज़ पोर्टल के पत्रकार को प्रदर्शन के बाद पानबाजार पुलिस ने बुलाया और हिरासत में ले लिया। खबर के मुताबिक, पत्रकार ने बैंक के प्रबंध निदेशक से कथित वित्तीय अनियमितताओं के बारे में सवाल किया था, हालांकि उसे हिरासत में लेने का कोई कारण नहीं बताया गया। आयोग ने असम सरकार के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

विभिन्न जेलों में बंद कैदियों के समक्ष आने वाली कठिनाइयाँ

(केस नं. 367/90/0/2025)

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने स्वत: संज्ञान लिया है देश भर की जेलों में महिला कैदियों और उनके बच्चों सहित कैदियों द्वारा सामना की जा रही विभिन्न कठिनाइयों का संज्ञान लेते हुए , आयोग ने कहा कि इसमें जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों का होना, बुनियादी सुविधाओं की कमी और जेलों में स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं का अभाव शामिल है। देश भर की विभिन्न जेलों का दौरा करने के बाद अपने विशेष मॉनिटर और रिपोर्टर्स द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ-साथ शिकयतों के माध्यम से इन मुद्दों को आयोग के संज्ञान में लाया गया है।

उठाई गई अन्य चिंताओं में महिला कैदियों की गरिमा और सुरक्षा के अधिकारों का उल्लंघन, उनके खिलाफ बढ़ती हिंसा के कारण मानसिक कष्ट, पर्याप्त शौचालय, सैनिटरी नैपकिन, स्वच्छ पेयजल सुविधाओं के बिना अस्वास्थ्यकर स्थिति, खराब गुणवत्ता वाला भोजन जिसके कारण विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और

स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण, जेलों में उनके साथ रहने वाली महिला कैदियों के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसरों की कमी, कानूनी सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास सहित उनके कल्याण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन न होना शामिल हैं।

इसलिए, आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को निम्नलिखित पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया है:

i.) अपने राज्य की जेलों में बंद महिला कैदियों की संख्या,

ii.) उन महिला कैदियों की संख्या जिनके बच्चे माताओं के जेल में रहने के कारण जेलों में बंद हैं;

iii.) महिला कैदियों की संख्या, जो दोषी करार दी गई हैं और जो विचाराधीन कैदी हैं;

iv.) जेल में एक वर्ष से अधिक समय से बंद विचाराधीन महिला कैदियों की संख्या;

v.) विचाराधीन पुरुष कैदियों की संख्या तथा एक वर्ष से अधिक समय से जेल में बंद कैदियों की संख्या।

बलात्कार और हत्या के गिरफ्तार आरोपी की मुठभेड़ में मौत

(केस नं. 238/10/10/2025)

14 अप्रैल, 2025 को मीडिया ने कर्नाटक के हुबली में एक नाबालिग लड़की के अपहरण, बलात्कार और हत्या तथा पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार आरोपी की मौत की खबर दी। खबर है कि घटना के कुछ ही घंटों के भीतर उसे पुलिस ने पकड़ लिया और पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा था, तभी उसने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की, जिसके परिणामस्वरूप उसे गोली लग गई और उसकी मौत हो गई। आयोग ने कर्नाटक सरकार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में दोनों मृतकों की पोस्टमार्टम जांच और मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट शामिल होने की उम्मीद है।

राहत के लिए संस्तुतियां

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक है मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों को संबोधित करना, पीड़ितों की शिकायतों को सुनना और ऐसे मामलों में उचित राहत की सिफारिश करना। यह नियमित रूप से ऐसे विभिन्न मामलों को उठाता है और पीड़ितों को राहत देने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश और सिफारिशें देता है। अप्रैल, 2025 में, सदस्य बेंचों द्वारा प्रतिदिन लिए गए मामलों की संख्या के अलावा, 22 मामलों की सुनवाई पूर्ण आयोग द्वारा और 20 मामलों की बेंच- I द्वारा की गई। 09 मामलों में पीड़ितों या उनके निकट संबंधियों (एनओके) को 50.2 लाख रुपये से अधिक की मौद्रिक राहत की सिफारिश की गई , जिसमें पाया गया कि लोक सेवकों ने या तो मानव अधिकारों का उल्लंघन किया है या उनकी सुरक्षा में लापरवाही बरती है। इन मामलों का विशिष्ट विवरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए केस नंबर को लॉग करके एनएचआरसी की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है:

क्र. सं.	केस संख्या	शिकायत की प्रकृति	राशि (₹ लाख में)	प्राधिकरण
1.	1089/7/7/2023-जेसीडी	हिरासत में मृत्यु (न्यायिक)	5.00	हरियाणा
2.	1401/34/6/2023-जेसीडी	हिरासत में मृत्यु (न्यायिक)	3.00	झारखंड
3.	14/23/8/2019-जेसीडी	हिरासत में मृत्यु (न्यायिक)	5.00	त्रिपुरा
4.	839/25/5/2020-जेसीडी	हिरासत में मृत्यु (न्यायिक)	5.00	पश्चिम बंगाल
5.	11155/24/48/2020	हिरासत में यातना	5.00	उत्तर प्रदेश।
6.	1975/7/5/2024	कैदी का उत्पीड़न	15.0	हरियाणा
7.	919/18/5/2024	बिजली का झटका लगने से मौत	5.10	ओडिशा
8.	2203/12/0/2020	सत्ता का दुरुपयोग	7.00	मध्य प्रदेश
9.	920/18/18/2024	सत्ता का दुरुपयोग	0.10	ओडिशा

पीड़ितों को राहत राशि का भुगतान

अप्रैल, 2025 के दौरान आयोग ने या तो सार्वजनिक अधिकारियों से अनुपालन रिपोर्ट और भुगतान के सबूत मिलने पर या अन्य टिप्पणियां/निर्देश देकर 09 मामलों को बंद कर दिया। आयोग की सिफारिशों पर पीड़ितों या उनके निकटतम रिश्तेदारों (नोके) को 35.1 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया। इन मामलों का विशिष्ट विवरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए केस नंबर को लॉग करके एनएचआरसी की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है:

क्र. सं.	केस संख्या	शिकायत की प्रकृति	राशि (₹ लाख में)	प्राधिकरण
1.	1530/7/5/2018-जेसीडी	हिरासत में मृत्यु (न्यायिक)	2.00	हरियाणा
2.	1163/34/3/2019-जेसीडी	हिरासत में मृत्यु (न्यायिक)	5.00	झारखंड
3.	295/11/10/2020-जेसीडी	हिरासत में मृत्यु (न्यायिक)	5.00	केरल
4.	1120/20/1/2023-जेसीडी	हिरासत में मृत्यु (न्यायिक)	5.00	राजस्थान
5.	1561/20/21/2021-जेसीडी	हिरासत में मृत्यु (न्यायिक)	5.00	राजस्थान
6.	10939/24/18/2023-जेसीडी	हिरासत में मृत्यु (न्यायिक)	5.00	उत्तर प्रदेश।
7.	4254/24/31/2019-जेसीडी	हिरासत में मृत्यु (न्यायिक)	5.00	उत्तर प्रदेश।
8.	1577/4/39/2023	सत्ता का दुरुपयोग	0.10	बिहार
9.	21/18/7/2024	भुखमरी से मौत	3.00	ओडिशा

केस स्टडीज

कई मामलों में, आयोग ने संबंधित राज्य अधिकारियों के दावों के विपरीत पाया कि पीड़ितों के मानव अधिकारों का उल्लंघन उनकी गैरकानूनी कार्रवाई, निष्क्रियता या चूक के कारण हुआ था। इसलिए, आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत न केवल मामले-दर-मामला आधार पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की सिफारिश की, बल्कि मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों या उनके परिजनों को आर्थिक राहत देने की भी सिफारिश की। आयोग को संबंधित राज्य अधिकारियों द्वारा अपनी सिफारिशों के अनुपालन की रिपोर्ट भी मिली। इनमें से कुछ मामलों का सारांश इस प्रकार है:

चिकित्सकीय लापरवाही

(केस संख्या 2684/4/24/2022)

यह मामला 2022 में बिहार सरकार द्वारा नालंदा जिले में संचालित VIMS अस्पताल में पित्ताशय में पथरी निकालने के लिए की गई सर्जरी के बाद कथित चिकित्सकीय लापरवाही के कारण 45 वर्षीय महिला की मौत से संबंधित है। अपने नोटिस के जवाब में संबंधित अधिकारियों से प्राप्त रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर, आयोग ने पाया कि अस्पताल के अधिकारियों द्वारा लापरवाही की गई थी, जिससे हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्टिंग में 32 दिनों की असामान्य देरी हुई, जिसमें निदान किया गया कि वह एडेनोकार्सिनोमा से पीड़ित थी। हालांकि यह बीमारी जानलेवा है, लेकिन मरीज और उसके परिवार को इस बारे में सूचित करने में देरी के कारण, वे उसकी सर्जरी के बाद संबंधित डॉक्टरों से समय पर फॉलो-अप के लिए नहीं जा सके। आयोग ने देखा कि राज्य को अस्पताल में अपने कर्मचारियों द्वारा पीड़िता को उसकी सही चिकित्सा स्थिति के बारे में जानकारी देने में विफलता के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, जिसके कारण अंततः उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए, इसने सिफारिश की कि बिहार सरकार पीड़िता के निकटतम रिश्तेदार (NoK) को राहत के रूप में 3.5 लाख रुपये का भुगतान करे, जिसका भुगतान किया गया।

नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न

(केस संख्या 2469/20/11/2023)

मामला दौसा जिले के अंतर्गत एक क्षेत्र में पुलिस के एक उप-निरीक्षक द्वारा नाबालिग लड़की के

कथित यौन उत्पीड़न से संबंधित है। अपने नोटिस के जवाब में संबंधित अधिकारियों से प्राप्त रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर, आयोग ने पाया कि आरोपी पुलिस कर्मी नाबालिग को 10 नवंबर, 2023 को जिले के अंतर्गत लालसोट क्षेत्र में अपने कमरे में बहला-फुसलाकर ले गया और उसका यौन उत्पीड़न किया। इसलिए, आयोग ने माना कि राजस्थान सरकार अपने कर्मचारी के आपराधिक कार्यों के लिए परोक्ष रूप से जिम्मेदार थी और सिफारिश की कि वह मृतक को 2.5 लाख रुपये की राहत दे , जिसका अनुपालन किया गया। विभागीय जांच के दौरान दोषी पुलिस अधिकारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया और उसके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया।

हमला और अवैध हिरासत

(केस संख्या 2156/25/11/2023-डब्ल्यूसी)

मामला एक शिकायत से संबंधित है कि 2023 में पश्चिम बंगाल के मालदा में जेबकतरी के संदेह में दो महिलाओं के साथ कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने दुर्व्यवहार किया, सार्वजनिक रूप से उनके कपड़े उतार दिए और उन पर हमला किया। हालांकि, पुलिस ने कथित तौर पर पीड़ित महिलाओं पर हमला करने वाले अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन्हें हिरासत में ले लिया। पीड़ितों को अवैध हिरासत में रखा गया था। आयोग ने राज्य के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी। संबंधित अधिकारियों से प्राप्त रिकॉर्ड पर सामग्री के आधार पर, आयोग ने पाया कि यह घटना पीड़ित महिलाओं के मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन है। इसलिए, इसने सिफारिश की कि पश्चिम बंगाल सरकार पीड़ितों को राहत के रूप में 3-3 लाख रुपये का भुगतान करे, जो भुगतान किया गया। यह भी बताया गया कि विभागीय जांच के बाद बामनगोला पुलिस स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक सहित चार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई और उन्हें अन्य स्थानों पर स्थानांतरित भी किया गया।

एक विचाराधीन कैदी की आत्महत्या

(केस संख्या 3872/18/25/2022-जेसीडी)

यह मामला 2022 में ओडिशा के झारसुगुड़ा जिला उप जेल में एक 26 वर्षीय विचाराधीन कैदी द्वारा वार्ड के पीछे स्थित नींबू के पेड़ पर तौलिया की मदद से फांसी लगाकर आत्महत्या करने से संबंधित है। अपने नोटिस के जवाब में संबंधित अधिकारियों से प्राप्त रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर, आयोग ने पाया कि कैदी ने दिनदहाड़े आत्महत्या कर ली, जो जेल अधिकारियों की ओर से निगरानी रखने में लापरवाही को दर्शाता है। इसलिए, इसने माना कि ओडिशा सरकार अपने कर्मचारियों की लापरवाही के लिए उत्तरदायी है और उसने पीड़ित के रिश्तेदार को राहत के रूप में 5 लाख रुपये का भुगतान करने की सिफारिश की, जिसका भुगतान किया गया।

हिरासत में मौत

(केस संख्या 517/11/5/2020-एडी)

यह मामला 2020 में केरल के इडुक्की जिला जेल में आत्महत्या के कारण 24 वर्षीय विचाराधीन कैदी की मौत से जुड़ा है। अपने नोटिस के जवाब में संबंधित अधिकारियों से प्राप्त रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर आयोग ने पाया कि मृतक राज्य की हिरासत में था। इसलिए, उसके जीवन की रक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी थी। इसलिए, अपने जेल कर्मचारियों की लापरवाही के लिए इसे परोक्ष रूप से उत्तरदायी मानते हुए, आयोग ने सिफारिश की कि केरल सरकार पीड़ित के रिश्तेदार को राहत के रूप में 4.5 लाख रुपये का भुगतान करे, जिसका भुगतान किया गया। राज्य ने यह भी बताया कि संबंधित अधिकारी को उसकी लापरवाही के लिए सेवा से निलंबित कर दिया गया था, और विभागीय जांच के बाद दो अन्य को केंद्रीय कारागार, वियूर में स्थानांतरित कर दिया गया था।

क्षेत्रीय दौरा

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के अध्यक्ष, सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी समय-समय पर देश के विभिन्न स्थानों का दौरा करते हैं ताकि मानव अधिकारों की स्थिति का आकलन किया जा सके और संबंधित राज्य सरकारों और उनके संबंधित अधिकारियों द्वारा आयोग की सलाह, दिशा-निर्देशों और सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति का पता लगाया जा सके। वे आश्रय गृहों, जेलों, पर्यवेक्षण गृहों आदि का भी दौरा करते हैं और सरकारी अधिकारियों को मानव अधिकारों के हित में आवश्यक प्रयास करने के लिए जागरूक करते हैं। मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों के शीघ्र निपटान में आयोग की मदद करने के लिए राज्य अधिकारियों द्वारा समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर भी जोर दिया जाता है।

एनएचआरसी के सदस्यों का दौरा

3 और 4 अप्रैल , 2025 को , न्यायमूर्ति (डॉ) बिद्युत रंजन षड़ंगी, सदस्य, एनएचआरसी, भारत ने मानव अधिकारों की स्थिति और कैदियों को उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं का आकलन करने के लिए पुणे, महाराष्ट्र में क्षेत्रीय मानसिक अस्पताल और यरवदा सेंट्रल जेल का दौरा किया। उन्होंने दोनों जगहों पर कैदियों और उनके कर्मचारियों से भी बातचीत की।

▶ एनएचआरसी, भारत के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ) बिद्युत रंजन षड़ंगी, पुणे, महाराष्ट्र में क्षेत्रीय मानसिक अस्पताल के कैदियों के साथ बातचीत करते हुए

4 अप्रैल, 2025 को , श्रीमती विजया भारती सयानी , एनएचआरसी, भारत सदस्य, ने विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में प्रियदर्शिनी वृद्धाश्रम और स्वाधार आश्रय गृह का दौरा किया। उन्होंने पाया कि वृद्धाश्रम में 18 बुज़ुर्ग व्यक्ति दयनीय स्थिति में रह रहे थे। गृह में उचित भोजन, दवा और देखभाल की सुविधाओं की कमी थी। स्वाधार आश्रय गृह के बारे में, उन्होंने यह भी कहा कि यह एक तंग जगह थी जिसमें 14 लड़कियाँ रहती थीं, हालाँकि रिकॉर्ड में 40 लोगों के लिए भोजन का झूठा दावा किया गया था। वे बाहर जाने के किसी अवसर के बिना अलगाव में रहती थीं।

इसके बाद 7 से 10 अप्रैल , 2025 तक उन्होंने तमिलनाडु में मानव अधिकारों की स्थिति का पता लगाने के लिए कई जगहों का दौरा किया। इनमें लेडी डोक कॉलेज के पुरुष और महिला छात्रावास, रसोई, कॉमन एरिया और बाथरूम, शक्ति विद्यायल चाइल्ड केयर रिसेप्शन होम और राजाजी होम फॉर द एज, मदुरै में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, तमिलनाडु राज्य मानव अधिकार आयोग और सरकारी किलपौक मेडिकल कॉलेज में यूजी मेन्स हॉस्टल और चेन्नई में किलपौक पुलिस स्टेशन शामिल थे।

लेडी डॉक कॉलेज हॉस्टल के निरीक्षण के दौरान, उन्होंने पाया कि इसमें स्वच्छता की कमी थी। मेस में स्टॉक का उचित हिसाब-किताब नहीं था। छात्रावासों में उचित बिस्तर नहीं थे, और बिजली के उपकरण काम नहीं कर रहे थे, जिससे छात्रों की रहने की स्थिति और सुरक्षा के बारे में गंभीर चिंताएँ पैदा हो गईं। उनके अवलोकन के परिणामस्वरूप अधिकारियों ने सफाई करने और रहने की समग्र स्थिति में सुधार करने के लिए त्वरित कार्रवाई की, जिससे छात्रों ने आभार व्यक्त करते हुए तस्वीरें भेजीं।

राजाजी वृद्धाश्रम में, उन्होंने पाया कि केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ वृद्ध व्यक्ति ही वहां भर्ती हो रहे थे, जो चल सकते थे और अपनी दिनचर्या का प्रबंधन कर सकते थे। उन्होंने पाया कि सुविधा में पौष्टिक भोजन और मनोरंजक गतिविधियाँ उपलब्ध हैं। उन्होंने सुधार के उपाय भी सुझाए। शक्ति विद्याल चाइल्ड केयर रिसेप्शन होम में, उन्होंने सुधार के उपाय सुझाए। उन्होंने बाल कल्याण समिति का भी दौरा किया और पाया कि मेनू से दूध गायब था।

▶ एनएचआरसी, भारत की सदस्या श्रीमती विजया भारती सयानी शक्ति विद्यालय चाइल्ड केयर रिसेप्शन होम, मदुरै, तमिलनाडु का निरीक्षण करती हुईं

▶ एनएचआरसी, भारत की सदस्या श्रीमती विजया भारती सयानी विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में स्वाधार शेल्टर होम का निरीक्षण करती हुईं

तमिलनाडु राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, रजिस्ट्रार (विधि) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने मानव अधिकार संस्था की कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।

किलपौक मेडिकल कॉलेज में यूजी मेन्स हॉस्टल का दौरा करते समय श्रीमती विजया भारती सयानी ने पाया कि परिसर में गंदगी थी और आस-पास से बदबू आ रही थी; कमरों में क्षमता से ज़्यादा छात्र थे। उन्होंने यह भी पाया कि मेस इंचार्ज और कर्मचारी भोजन और अन्य सुविधाओं के बारे में असंगत जानकारी दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि किलपौक पुलिस स्टेशन में पर्याप्त स्टाफ नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस ने अनुसूचित जाति समुदाय की एक महिला पर हमले की शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया, लेकिन उसके खिलाफ जवाबी शिकायत दर्ज कर ली। सदस्य ने पीड़ित महिला को सलाह दी कि वह अपनी शिकायत एनएचआरसी और पुलिस अधिकारियों को सौंपे ताकि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की ऐसी शिकायतों पर उचित कार्रवाई की जा सके।

18 अप्रैल, 2025 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी ने हैदराबाद, तेलंगाना में आदिवासी और अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए प्रियदर्शिनी छात्रावास का दौरा किया। निरीक्षण में उन बच्चों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला गया जिन्हें उचित भोजन सामग्री नहीं दी जा रही थी और छात्रावास की अस्वच्छ और खराब स्वच्छता स्थिति थी।

विशेष प्रतिवेदकों और विशेष मॉनीटरों का दौरा

भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानव अधिकारों की स्थिति की निगरानी के लिए 15 विशेष प्रतिवेदक नियुक्त किए हैं। वे आश्रय गृहों, जेलों, पर्यवेक्षण गृहों और इसी तरह के संस्थानों का दौरा करते हैं, आयोग के लिए रिपोर्ट संकलित करते हैं जिसमें भविष्य की कार्रवाई के लिए उनके अवलोकन और सुझाव शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त, आयोग ने 21 विशेष मॉनीटरों (मॉनीटरों) को नियुक्त किया है जिन्हें विशिष्ट विषयगत मानव अधिकार मुद्दों की देखरेख करने और आयोग को अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट करने का काम सौंपा गया है। अप्रैल, 2025 के दौरान, विशेष प्रतिवेदकों और मॉनीटरों ने कई स्थानों का दौरा किया।

विशेष प्रतिवेदक

- 3 से 9 अप्रैल , 2025 तक श्रीमती सुचित्रा सिन्हा ने विभिन्न सुविधाओं की स्थिति का आकलन करने के लिए झारखंड के खूंटी में एक आश्रय गृह, वन स्टॉप सेंटर, एससी/एसटी आवासीय विद्यालय और एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया।
- 15 से 22 अप्रैल , 2025 तक श्री अखिल कुमार शुक्ला ने मणिपुर में इम्फाल की सेंट्रल जेल, नरसिंहगढ़ में आधुनिक मनोचिकित्सा अस्पताल , बाल गृह, नेत्रहीन गृह, अगरतला में एक नशा मुक्ति केंद्र और त्रिपुरा में ऐसे अन्य संस्थानों का दौरा किया ताकि मानव अधिकारों की स्थिति का आकलन किया जा सके।

▶ एनएचआरसी, भारत के विशेष प्रतिवेदक, श्री अखिल शुक्ला, केंद्रीय जेल, सजीवा, इंफाल, मणिपुर की महिला कैदियों के साथ बातचीत करते हुए

- 20 से 25 अप्रैल , 2025 तक श्री महेश सिंगला ने मानव अधिकार स्थिति का आकलन करने के लिए दिल्ली सरकार के अधीन विभिन्न दत्तक ग्रहण केंद्रों और अन्य सुविधाओं का दौरा किया।

▶ एनएचआरसी, भारत के विशेष प्रतिवेदक, श्री महेश सिंगला द्वारका, नई दिल्ली में चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड सेंटर का निरीक्षण करते हुए

- 20 से 26 अप्रैल , 2025 तक श्री उमेश कुमार शर्मा ने सुविधाओं की स्थिति का आकलन करने के लिए मध्य प्रदेश के भोपाल, रायसेन और नर्मदापुरम में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर जेलों और सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों का दौरा किया।
- 22 से 27 अप्रैल , 2025 तक श्री उमेश कुमार ने मानव अधिकार स्थिति और आंगनवाड़ी के लाभार्थियों का आकलन करने के लिए असम के कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिले के कामाख्या और प्राग्ज्योतिषनगर में आंगनवाड़ी केंद्रों का दौरा किया।

विशेष मॉनीटर

- 1 से 6 अप्रैल, 2025 तक श्री वीरेंद्र सिंह रावत ने प्रशिक्षण पहलुओं से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने, मुआवजा योजना, स्वास्थ्य और काम की स्थिति, एससी/एसटी अपराध, कार्यस्थल पर यौन अपराध आदि के संदर्भ में मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए महाराष्ट्र के वाशी और नवी मुंबई में विभिन्न पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों का निरीक्षण किया।
- 7 से 12 अप्रैल, 2025 तक, डॉ. साधना राउत ने विभिन्न व्यवसायों, क्षेत्रों और पृष्ठभूमियों में महिलाओं के सामने आने वाले मुद्दों को समझने और जांचने के लिए मुंबई और नागपुर शहरों में कमजोर समूहों और विभिन्न हितधारकों से मिलने के लिए महाराष्ट्र का दौरा किया।
- 15 से 17 अप्रैल , 2025 तक श्री योगेश दूबे ने झारखंड समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के तहत मानव अधिकार की स्थिति का आकलन करने और दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के संदर्भ में डेटा एकत्र करने के लिए झारखंड के देवघर जिले का दौरा किया।
- 20 से 22 अप्रैल, 2025 तक श्री संजय अग्रवाल ने विभिन्न सुविधाओं और मानव अधिकार स्थिति का आकलन करने के लिए राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, देवघर, झारखंड का दौरा किया।

▶ एनएचआरसी, भारत के विशेष मॉनिटर, श्री संजय अग्रवाल का राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, देवगढ़, झारखंड में

- 21 से 24 अप्रैल , 2025 तक श्री राकेश अस्थाना ने मानव अधिकार स्थिति का जायजा लेने के लिए असम के दीफू और उदलगिरी में पूर्व विद्रोहियों के पुनर्वास शिविरों का दौरा किया।
- 22 से 26 अप्रैल , 2025 तक श्री प्रेम सिंह बिष्ट ने कर्नाटक में व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित मानव अधिकार उल्लंघन की संभावना वाले सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का दौरा किया। उन्होंने बेंगलुरु और कर्नाटक के आसपास के क्षेत्रों में व्यापार और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के तरीकों की देखरेख के लिए क्षेत्रीय दौरे भी किए।
- 28 से 30 अप्रैल, 2025 तक डॉ. प्रदीप्त कुमार नायक ने राज्य कुष्ठ अधिकारी (एसएलओ), स्वास्थ्य और कुष्ठ कार्यक्रम के जिला अधिकारियों, समाज कल्याण, मानसिक स्वास्थ्य और अन्य विभागों, अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामान्य समुदायों और कुष्ठ कॉलोनियों के साथ मुलाकात की ताकि झारखंड में रांची, खूंटी, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम जिलों में कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों से संबंधित समस्याओं और उन्हें प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को समझा जा सके।.

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत को मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन करने तथा इसके बारे में जागरूकता पैदा करने का कार्य सौंपा गया है। इस उद्देश्य के लिए, यह अपनी पहुँच और मानव अधिकार संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम, सहयोगात्मक प्रशिक्षण और विभिन्न अन्य गतिविधियाँ आयोजित कर रहा है। इंटर्नशिप व्यक्तिगत रूप से और ऑनलाइन दोनों तरह से आयोजित की जाती हैं। ऑनलाइन इंटर्नशिप का आयोजन यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि दूरदराज के क्षेत्रों के छात्र बिना किसी यात्रा और दिल्ली में रहने के खर्च के इसमें शामिल हो सकें। इसके अलावा, आयोग विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों के लिए एक विशेष मानव अधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है, क्योंकि इसका मिशन सभी संस्थानों में मानव अधिकारों को बनाए रखना और उनकी रक्षा करना है, ताकि ज्ञानार्जन प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार और सम्मान की रक्षा सुनिश्चित जा सके।

छात्रों का प्रदर्शन दौरा

कॉलेज स्तर के छात्रों और उनके शिक्षकों के बीच मानव अधिकार जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत उन्हें मानव अधिकारों, उनके संरक्षण तंत्र और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम (पीएचआरए), 1993 के अनुरूप इस उद्देश्य के लिए इसके कामकाज को समझने के लिए आयोग का दौरा करने के लिए आमंत्रित करता है। अप्रैल, 2025 के दौरान, सात कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के 192 छात्रों और संकाय सदस्यों ने आयोग का दौरा किया। उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विधि और अन्वेषण प्रभागों और शिकायत प्रबंधन प्रणाली के कामकाज के बारे में जानकारी दी गई। दौरे इस प्रकार थे:

- 3 अप्रैल, 2025 को कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज के छात्र और शिक्षक एनएचआरसी, भारत आए। अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने उन्हें संबोधित किया। उन्होंने कानूनी पेशे में करुणा के महत्व पर जोर दिया और एक अच्छे न्यायाधीश की पहचान करने वाले गुणों को रेखांकित किया। बातचीत के बाद प्रश्नोत्तर सत्र का आयोजन किया गया।
- 4 अप्रैल, 2025 को डॉ. डी.वाई. पाटिल लॉ कॉलेज, पिंपरी, पुणे, महाराष्ट्र से 28 छात्रों और 2 संकाय सदस्यों का एक बैच मानव अधिकारों पर आधे दिन के उन्मुखीकरण कार्यक्रम के लिए आया था।
- 7 अप्रैल, 2025 को मोहम्मद अब्दुल बारी इंस्टीट्यूट ऑफ ज्यूरिडिकल साइंस, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के 17 छात्रों और 2 संकाय सदस्यों ने एनएचआरसी का दौरा किया।
- 9 अप्रैल, 2025 को दिल्ली विश्वविद्यालय के कैम्पस लॉ सेंटर के 55 छात्रों और एक संकाय ने एनएचआरसी, भारत का दौरा किया।
- 21 अप्रैल, 2025 को ऑरोरा विश्वविद्यालय, हैदराबाद के 10 छात्रों के एक बैच ने एनएचआरसी, भारत का दौरा किया।
- 22 अप्रैल, 2025 को दिल्ली विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के 30 छात्रों और एक संकाय सदस्य ने एनएचआरसी, भारत का दौरा किया।
- 28 अप्रैल, 2025 को राधा गोविंद विश्वविद्यालय, झारखंड के 15 छात्रों और एक संकाय सदस्य ने एनएचआरसी, भारत का दौरा किया।

रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज, बेंगलुरु, कर्नाटक

डी. वाई. पाटिल लॉ कॉलेज, पुणे, महाराष्ट्र

मोहम्मद अब्दुल बारी इंस्टीट्यूट, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल

कैम्पस लॉ सेंटर, नई दिल्ली

राजनीति विज्ञान विभाग, नई दिल्ली

राधा गोविंद विश्वविद्यालय, झारखंड

अतंरराष्ट्रीय स्तर पर एनएचआरसी

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर विचारों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेता रहता है। कई विदेशी संस्थागत प्रतिनिधि आयोग का दौरा करते हैं और मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए आयोग के कामकाज को समझने के लिए अध्यक्ष, सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों से मिलते हैं। आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और अन्य वरिष्ठ अधिकारी आयोग की उपलब्धियों पर अपने विचार साझा करने, अन्य एनएचआरआई के साथ बातचीत करने और तेजी से विकसित हो रही दुनिया में मानव अधिकारों के लिए चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी जाते हैं।

वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक समूह/आईएमएफ की स्प्रिंग मीटिंग

23 अप्रैल, 2025 को , भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) के महासचिव श्री भरत लाल ने वाशिंगटन डीसी में 21-26 अप्रैल, 2025 के दौरान आयोजित विश्व बैंक समूह (WBG) और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की स्प्रिंग मीटिंग में एक व्याख्यान दिया। 'शहरों को सशक्त बनाना: शहरी बुनियादी ढाँचे और नौकरियों को वितरित करने में उप-राष्ट्रीय वित्तपोषण की महत्वपूर्ण भूमिका' शीर्षक वाले उच्च-स्तरीय सत्र में एक प्रमुख वक्ता के रूप में, श्री लाल ने शहरी विकास में भारत की उल्लेखनीय यात्रा और लोगों के कल्याण और उनके मानव अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले समावेशी विकास को बढ़ावा देने में उप-राष्ट्रीय शासन और वित्तपोषण के महत्वपूर्ण भूमिका का एक व्यावहारिक अवलोकन प्रस्तुत किया। उन्होंने भारत के लचीले लोकतांत्रिक ढांचे, लगातार उच्च आर्थिक विकास और कानून के शासन के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला, जिससे देश अन्य विकासशील देशों के लिए एक मॉडल के रूप में स्थापित हुआ। सरकार के विकास पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर देते हुए उन्होंने आधुनिक, समावेशी और लचीले बुनियादी ढांचे को उपलब्ध कराने में उद्देश्यपूर्ण नेतृत्व, सुशासन और रणनीतिक प्रौद्योगिकी अपनाने

► एनएचआरसी, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्प्रिंग मीटिंग में व्याख्यान देते हुए

की भूमिका को रेखांकित किया, जिससे जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी और मानव गरिमा कायम रहेगी।

भारत के शहरी परिवर्तन के अनुभव से प्रेरणा लेते हुए, श्री लाल ने 2001 के बाद गुजरात की सफलताओं का उल्लेख किया, विशेष रूप से अहमदाबाद और सूरत जैसे शहरों में, जो प्रभावी शहरी शासन के प्रतीक के रूप में उभरे हैं। इन क्षेत्रीय सुधारों ने राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख मिशनों को सूचित किया है जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन, जिसने स्वच्छता में काफी सुधार किया है; जल जीवन मिशन, जिसने पाँच वर्षों के भीतर घरेलू नल के पानी की पहुँच 32 मिलियन (16.7%) से बढ़ाकर 156 मिलियन (80.5%) घरों तक कर दी है; अमृत, जो नगरपालिका के बुनियादी ढाँचे को उन्नत करने पर केंद्रित है; और चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति और किफायती आवास सुनिश्चित करने के लिए व्यापक कार्यक्रम है। श्री लाल ने बताया कि इन कार्यक्रमों की गति और पैमाने को तकनीकी नवाचार द्वारा समर्थित किया जाता है, जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) उपकरणों का उपयोग, वास्तविक समय की निगरानी और डेटा एनालिटिक्स शामिल हैं

श्री लाल ने भारत के बुनियादी ढांचे के विकास की कहानी में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की उभरती भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि अहमदाबाद सहित कई यूएलबी ने नगरपालिका बांड के माध्यम से पूंजी बाजार तक पहुंच बनाई है, जबकि पानी और सीवेज जैसे क्षेत्रों के लिए वाणिज्यिक उधार का तेजी से उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने भारत के वित्त आयोग के महत्व पर

▶ प्रतिभागियों का एक समूह

भी जोर दिया, जो एक संवैधानिक निकाय है, जिसका गठन हर पांच साल में किया जाता है, और यह स्थानीय स्वशासन सहित विभिन्न स्तर की सरकारों को धन हस्तांतरित करता है, जिससे राजकोषीय संघवाद मजबूत होता है। शहरी नागरिक सेवाओं की वित्तीय व्यवहार्यता के लिए सेवा शुल्क के कुशल संग्रह को महत्वपूर्ण माना गया। इस संदर्भ में, उन्होंने हाल ही में घोषित 100 हजार करोड़ रुपये (12 बिलियन अमरीकी डॉलर) के परिव्यय वाले शहरी चुनौती कोष पर भी बात की, जिसे संसाधन जुटाने, बैंक योग्य परियोजनाएं तैयार करने और निजी निवेश आकर्षित करने में यूएलबी का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अभी भी चालू होने के दौरान, यह कोष नगरपालिका संस्थानों की दीर्घकालिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता को सक्षम करने का वादा करता है।

डेटा, जमीनी स्तर की अंतर्दृष्टि और नीतिगत नवाचारों से समृद्ध उनके संबोधन ने वैश्विक विकास नेताओं, वित्तीय विशेषज्ञों, निजी निवेशकों और विश्व बैंक और आईएफसी के वरिष्ठ अधिकारियों से युक्त श्रोताओं को बहुत प्रभावित किया। जल जीवन मिशन के उल्लेखनीय विस्तार ने काफी रुचि पैदा की, कई उपस्थित लोगों ने इसे अन्य देशों के लिए एक स्केलेबल मॉडल के रूप में देखा। श्री लाल ने सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने में डिजिटल शासन, पारदर्शी निगरानी प्रणाली और संस्थागत सुधारों की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि कैसे इन कारकों ने रोजगार के अवसर पैदा किए हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार किया है और भारत की निरंतर आर्थिक वृद्धि में योगदान दिया है।

भाषण सत्र के अलावा, श्री भरत लाल ने कई उच्च स्तरीय बैठकें भी कीं, जिनमें विश्व बैंक के अध्यक्ष श्री अजय बंगा, भारत, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका के कार्यकारी निदेशक श्री परमेश्वरन अय्यर और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत श्री वी.एम. क्वात्रा ने भाग लिया। इन मुलाकातों में उन्होंने मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एनएचआरसी भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला और सामाजिक-आर्थिक विकास, शासन, सुधार और डिजिटल परिवर्तन पर चर्चा की। इन चर्चाओं ने समानता, स्थिरता और नवाचार पर केंद्रित विकास भागीदार के रूप में भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत किया। स्प्रिंग मीटिंग्स में उनकी उपस्थिति ने भारत की विकास कहानी और बुनियादी ढांचे में निवेश के अवसर को वैश्विक दर्शकों के सामने पेश करने में मदद की, यह प्रदर्शित करते हुए कि कैसे अच्छी तरह से समन्वित शासन, मजबूत वित्तपोषण तंत्र और तकनीकी हस्तक्षेप सामूहिक रूप से लोगों की जीवन स्थितियों को बदल सकते हैं और शहरों को उच्च आर्थिक विकास का इंजन बना सकते हैं।

व्यापार और मानव अधिकार पर गनहरी कार्य समूह की बैठक

23 अप्रैल, 2025 को श्री समीर कुमार, संयुक्त सचिव, एनएचआरसी ने व्यापार और मानव अधिकार (बीएचआर) पर गनहरी कार्य समूह (डब्ल्यूजी) की वर्चुअल बैठक में भाग लिया। फिलीपींस के मानव अधिकार आयोग (सीएचआर) के अंतरराष्ट्रीय दायित्व निगरानी मानव अधिकार नीति संपर्क कार्यालयों के प्रभाग प्रमुख श्री मैरिजेन सैंटोस ने इसकी अध्यक्षता की। भारत के अलावा, भाग लेने वाले एनएचआरआई में अर्जेंटीना, इक्वाडोर, जर्मनी, मोरक्को, मलावी, उत्तरी आयरलैंड, फिलीपींस, पुर्तगाल, फ्रांस और डेनमार्क शामिल थे। एजेंडे में डब्ल्यूजी उपाध्यक्ष का चुनाव शामिल था, जिसमें मोरक्को एनएचआरआई को सर्वसम्मति से चुना गया। समूह ने 2025/2026 रणनीतिक योजना की समीक्षा की, जिसमें बीएचआर पर 14 वें यूएन फोरम को प्रस्तुत प्रस्ताव भी शामिल है। कार्य समूह की आगामी बैठकों में प्रवासी श्रमिकों, लैंगिक समानता और काम पर चर्चा करने का भी निर्णय लिया गया।

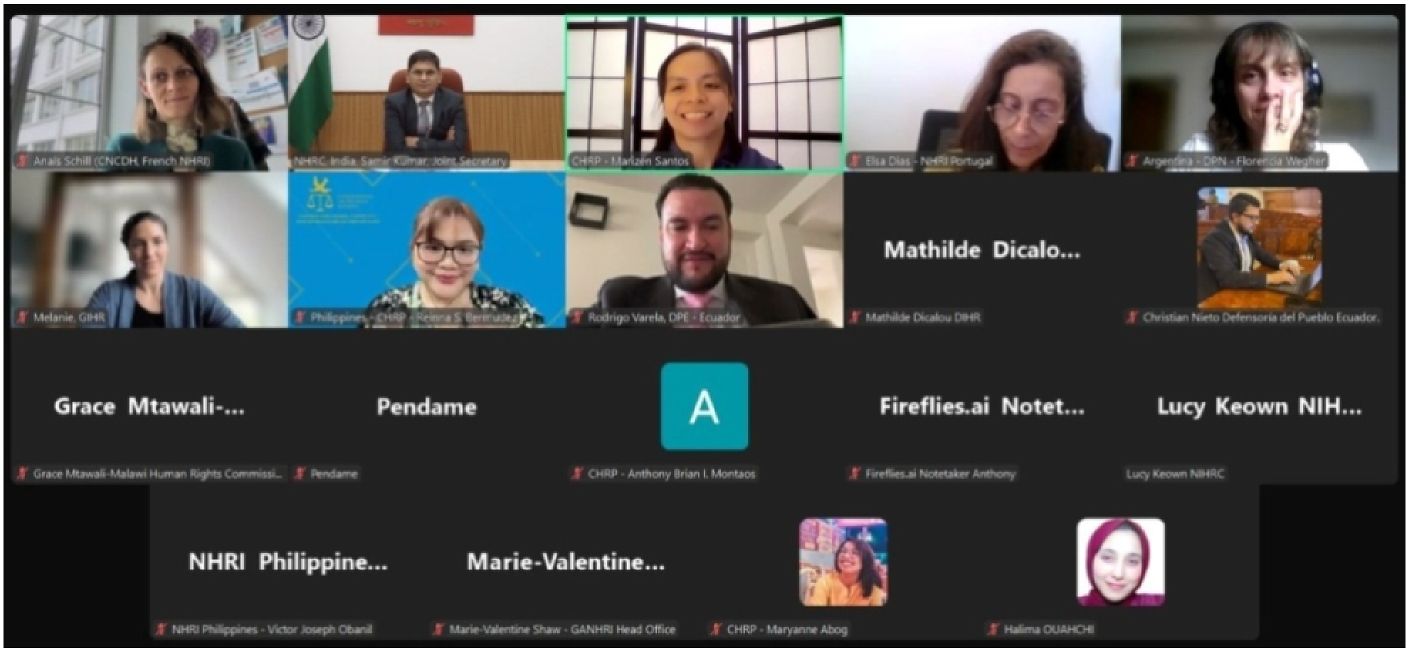

▶ एनएचआरसी, भारत के संयुक्त सचिव, श्री समीर कुमार व्यापार और मानव अधिकार पर गनहरी कार्य समूह की वर्चुअल बैठक में भाग लेते हुए

नव नियुक्ति

7 अप्रैल, 2025 को भारतीय रेलवे यातायात सेवा (आईआरटीएस) के 1999 बैच के अधिकारी श्री समीर कुमार संयुक्त सचिव के रूप में आयोग में शामिल हुए। उनके पास दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातकोत्तर और डरहम विश्वविद्यालय बिजनेस स्कूल, यूके से एमबीए की डिग्री प्राप्त है। उन्हें विभिन्न क्षमताओं में रसद, परिवहन, संचालन और प्रशासन में 25 से अधिक वर्षों का अनुभव है। आयोग में शामिल होने से पहले, उन्होंने दिल्ली डिवीजन के एडिशनल डिवीजनल रेलवे मैनेजर, उत्तरी रेलवे के मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक और रेल मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्य किया। उन्होंने सेंटर फॉर ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च एंड मैनेजमेंट (CTRAM) की गवर्निंग काउंसिल में भी काम किया है और लॉजिस्टिक्स सेक्टर के कई थिंक टैंक जैसे CILT (चार्टर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन) इंस्टीट्यूट ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्टेशन (IRT) और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट (AITD) के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं।

उन्होंने दुनिया के अग्रणी बिजनेस स्कूलों इनसीड, सिंगापुर, आईआईएम, लखनऊ, एमडीआई, गुरूग्राम से प्रबंधन प्रशिक्षण प्राप्त किया है तथा आईसीएलआईएफ, कुआलालंपुर से लीडरशिप कोर्स भी किया है।

राज्य मानव अधिकार आयोगों से समाचार

मानव जीवन के निरंतर बढ़ते आयामों और उससे जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए मानव अधिकारों का संवर्धन और संरक्षण हमेशा से ही एक प्रगतिशील कार्य रहा है। भारत में, लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारों के अलावा, जो संवैधानिक रूप से लोगों के बुनियादी मानव अधिकारों की रक्षा करके उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, विधायिका, न्यायपालिका, एक जीवंत मीडिया, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) और राज्य मानव अधिकार आयोग (एसएचआरसी) जैसी संस्थाएँ हैं, साथ ही अन्य राष्ट्रीय आयोग और उनके राज्य समकक्ष भी हैं जो समाज के विभिन्न वर्गों के अधिकारों और मुद्दों के प्रहरी के रूप में काम करते हैं। इस कॉलम का उद्देश्य मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए एसएचआरसी द्वारा की गई असाधारण गतिविधियों को उजागर करना है।

हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग

मार्च, 2025 के दौरान, हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग (Hएसएचआरसी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने गुरुग्राम में निराश्रित महिलाओं के लिए ताऊ देवी लाल वृद्धाश्रम (स्नेहधाम) का निरीक्षण किया। वर्तमान में, इसमें 18 संवासिनी हैं। उन्होंने पाया कि 11 संवासिनी के पास आधार कार्ड हैं और किसी के पास आयुष्मान कार्ड या परिवार पहचान पत्र नहीं है। इसके अलावा, किसी को भी दिव्यांगता प्रमाण पत्र या वृद्धावस्था पेंशन जारी नहीं की गई थी, जबकि सभी निवासी पुरानी बीमारियों से पीड़ित हैं। इन दस्तावेजों को जल्द से जल्द जारी करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। सिविल अस्पताल का एक डॉक्टर हर महीने दौरा करता है। हालांकि, यह सिफारिश की गई कि बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर को हर हफ्ते दौरा करना चाहिए। संवासिनी संतुष्ट दिखीं और स्टाफ़ देखभाल करने वाला पाया गया।

▶ एचएसएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा गुरुग्राम में निराश्रित महिलाओं के लिए ताऊ देवी लाल वृद्धाश्रम (स्नेहधाम) में रहने वालों से बातचीत करते हुए

पंजाब राज्य एवं चंडीगढ़ (यूटी) मानव अधिकार आयोग

24 अप्रैल को रयात बाहरा यूनिवर्सिटी, मोहाली के विधि विभाग के 40 छात्रों ने पंजाब राज्य और चंडीगढ़ (यूटी) मानव अधिकार आयोग का दौरा किया, जिसमें एक दिन का ज्ञानवर्धक सत्र शामिल था। इस दौरे का उद्देश्य छात्रों को आयोग के कामकाज के बारे में व्यावहारिक जानकारी प्रदान करना था। सत्र के दौरान छात्रों को आयोग की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें मानव अधिकार उल्लंघनों से निपटने की इसकी प्रक्रियाएँ भी शामिल थीं।

इस दौरे ने छात्रों को आयोग के साथ जुड़ने और राज्य भर में मानव अधिकारों की सुरक्षा में उसके महत्वपूर्ण कार्य को समझने का एक मूल्यवान अवसर प्रदान किया।

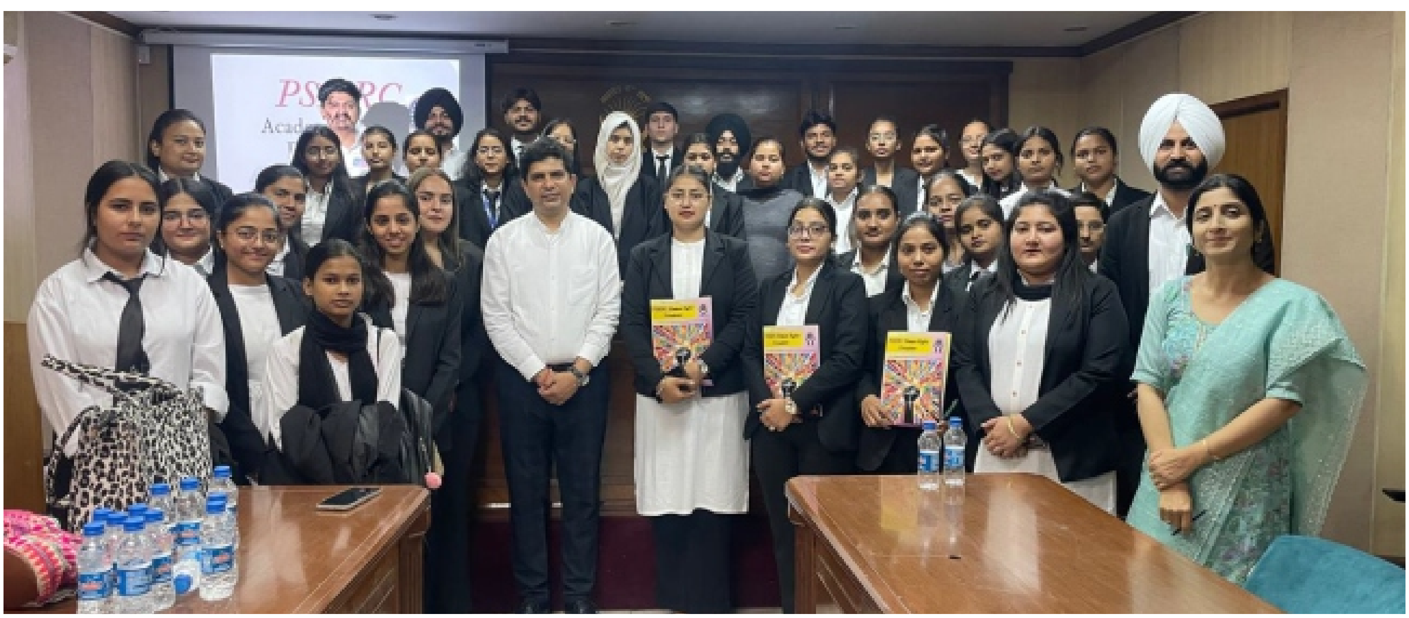

▶ रयात बाहरा यूनिवर्सिटी, मोहाली के लॉ विभाग के विजिटिंग छात्र

पश्चिम बंगाल राज्य मानव अधिकार आयोग

9 अप्रैल, 2025 को पश्चिम बंगाल राज्य मानव अधिकार आयोग (पश्चिम बंगाल एसएचआरसी) के एक प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष न्यायमूर्ति ज्योतिर्मय भट्टाचार्य के नेतृत्व में और सदस्य न्यायमूर्ति मधुमती मित्रा तथा रजिस्ट्रार श्री सौगत चक्रवर्ती के साथ जलपाईगुड़ी जिले के राजगंज ग्रामीण अस्पताल का दौरा किया। आयोग ने पाया कि अस्पताल अच्छी तरह से सुसज्जित है, जिसमें इनडोर और आउटडोर दोनों तरह की सेवाएं उपलब्ध हैं, जिसमें 35 कार्यात्मक बिस्तर और वातानुकूलित वार्ड हैं। मरीजों को यूनिफॉर्म प्रदान की गई, जिससे स्वच्छता और रोगी देखभाल में सुधार हुआ।

▶ पश्चिम बंगाल, राज्य मानव अधिकार आयोग के अधिकारी जलपाईगुड़ी जिले के राजगंज ग्रामीण अस्पताल का निरीक्षण करते हुए

एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक सहित सभी उपचार, दवाएं और नैदानिक परीक्षण निःशुल्क हैं।

आयोग ने अस्पताल द्वारा नियमित रूप से आयोजित स्कूल स्वास्थ्य जांच की सराहना की। इसने पाया कि उचित दवा प्रबंधन, इंटरनेट पहुंच, सीसीटीवी निगरानी और एम्बुलेंस सेवाओं के साथ, अस्पताल ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के लिए एक आदर्श मॉडल है।

कर्नाटक राज्य मानव अधिकार आयोग

4 अप्रैल, 2025 को कर्नाटक राज्य मानव अधिकार आयोग (केएसएचआरसी) ने रामनगर जिले में मानव अधिकार उल्लंघन के विभिन्न मामलों की जन सुनवाई की। इसमें 72 मामलों की सुनवाई की गई और 18 नए मामले भी प्राप्त हुए। इसके अलावा, अधिकारियों ने हुबली का दौरा किया और एक मामले की मौके पर जांच की, जिसे उन्होंने स्वयं दर्ज किया था। 28 मार्च, 2025 को पुलिस मुठभेड़ में एक व्यक्ति की मौत के बारे स्वतः के आधार पर आयोग ने जिला स्तरीय

▶ कर्नाटक, राज्य मानव अधिकार आयोग पुलिस मुठभेड़ के एक मामले की घटना स्थल पर जांच करते हुए

अधिकारियों के साथ एक संवाद सत्र आयोजित किया, जिसमें उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जिला पंचायत शामिल थे। संवाद सत्र में विभिन्न विभागों के लगभग 300 जिला स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया।

केएसएचआरसी ने जिला जेल, केंद्रीय बस स्टैंड, सरकारी प्री- और पोस्ट-मैट्रिक गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल और अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों का भी दौरा किया। टीम ने जेल और हॉस्टल के कैदियों से बातचीत की। केएसएचआरसी ने अप्रैल, 2025 के दौरान मानव अधिकार उल्लंघन के 306 मामलों का निपटारा किया।

मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग

अप्रैल, 2025 के दौरान, मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग (एमपीएसएचआरसी) ने मानव अधिकार उल्लंघन की 05 घटनाओं का स्वतः संज्ञान लेते हुए पीड़ितों के परिजनों को 38 लाख 20 हजार रुपए की सहायता राशि देने की संस्तुति की। इसके अलावा, तीन अन्य मामलों में हस्तक्षेप करते हुए आदिवासी छात्रों के छात्रावास में बिजली कनेक्शन और मीटर बहाल कराया, एक परिवार को आयुष्मान कार्ड दिलाया तथा एक व्यक्ति को रेल टिकट में रियायत पाने के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र दिलाया।

संक्षेप में समाचार

- 1 अप्रैल, 2025 को एनएचआरसी, भारत के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ) बिद्युत रंजन षड़ंगी ने ओडिशा नागरिक समाज, भुवनेश्वर, ओडिशा द्वारा आयोजित ओडिशा दिवस को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। 3 से 4 अप्रैल, 2025 तक , एनएचआरसी , भारत के महानिदेशक (अन्वेषण) श्री आर प्रसाद मीना ने मणिपुर, असम का दौरा किया और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ राज्य मानव अधिकार आयोग के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया।

- 4 अप्रैल, 2025 को , एनएचआरसी, भारत की सदस्य, श्रीमती विजया भारती सयानी ने आश्रय गृह 'स्त्री अधिकार' का उद्घाटन किया। गुरजादा कलाक्षेत्रम, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण, सांस्कृतिक बदलाव और पारिवारिक विघटन जैसे मुद्दे भी महिलाओं को आर्थिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। एनएचआरसी, भारत जागरूकता पैदा करने के लिए महिला अधिकारों के मुद्दों की चिंताओं को संबोधित करना जारी रखता है। उन्होंने कहा कि आयोग बेहतर सुविधाएँ सुनिश्चित करने के लिए आश्रय गृहों का औचक निरीक्षण भी करता है। इस कार्यक्रम में विशाखापत्तनम के पुलिस आयुक्त, उद्यमी और महिला एवं बाल कल्याण विभाग के प्रतिनिधि शामिल हुए।

- 6 अप्रैल, 2025 को , एनएचआरसी, भारत के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगी ने गोकर्णिका साहित्य समाज की स्वर्ण जयंती को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया और जराका , भुवनेश्वर, ओडिशा में इसकी ओडिया साहित्यिक पत्रिका का विमोचन किया।

- 7 अप्रैल, 2025 को एनएचआरसी, भारत के सदस्य, श्री प्रियंक कानूनगो ने पश्चिम बंगाल के गुवाहाटी में चेंगल बंगाल मंदिर में अशोक अष्टमी मेले में भाग लिया।

- 8 अप्रैल, 2025 को एनएचआरसी, भारत के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ) बिद्युत रंजन षड़ंगी भुवनेश्वर, ओडिशा में अभिभाषक महासंघ द्वारा मानव अधिकार मोर्चा ओडिशा आरटीई फोरम BIKALP के सहयोग से आयोजित शिक्षा के अधिकार सम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया।

- 8 से 9 अप्रैल, 2025 तक एनएचआरसी, भारत के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ) बिद्युत रंजन षड़ंगी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान द्वारा ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया।

- 11 अप्रैल, 2025 को एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने तमिलनाडु के चेन्नई स्थित रामकृष्ण विवेकानंद कॉलेज में स्नातक दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने मानव अधिकारों को बनाए रखने की भारत की प्राचीन परंपरा पर प्रकाश डाला। उन्होंने तमिल कवि तिरुवल्लुवर का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि ये अधिकार भारतीय संस्कृति में गहराई से समाए हुए हैं।

- 12 अप्रैल, 2025 को एनएचआरसी, भारत की सदस्य, श्रीमती विजया भारती सयानी ने महिलाओं के मुद्दों पर दो दिवसीय सम्मेलन 'महिला समन्वय' को संबोधित किया। गोवा के महालक्ष्मी मंदिर में 'समन्वयम', दृष्टि स्त्री द्वारा प्रबोधन अध्ययन केंद्र में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए माननीय सदस्या ने एनएचआरसी, भारत के कामकाज, सहयोग और गतिविधियों के बारे में बात की। गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद पांडुरंग सावंत और एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष श्रीमती विजया रहाटकर भी मौजूद थीं।

- 12 अप्रैल, 2024 को एनएचआरसी, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल ने प्रिंसटन फाउंडेशन द्वारा भारत में मानव अधिकार पर आयोजित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में वर्चुअल माध्यम से भाषण दिया।

- 13 अप्रैल, 2025 को एनएचआरसी, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल ने सेवा SHEOWS द्वारा आयोजित समारोह को संबोधित किया तथा वृद्धा सेवा सम्मान समारोह में वृद्धजनों, विशेषकर परित्यक्त व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाने में योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने उनके अनुकरणीय कार्य की सराहना की तथा युवाओं से इस प्रयास में शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या, जो अभी हमारी जनसंख्या का 10% है, 2047 में बढ़कर 20% हो जाएगी। श्री लाल ने कहा कि उनकी देखभाल के लिए और अधिक मजबूत बुनियादी ढाँचा विकसित करने तथा उन्हें सार्थक योगदान देने में सक्षम बनाने की आवश्यकता है। वे हमारे सदियों पुराने मूल्यों और ज्ञान के भंडार हैं, जिन्हें युवा पीढ़ी तक पहुँचाया जाना चाहिए।

- 14 और 15 अप्रैल , 2025 को एनएचआरसी, भारत के सदस्य, श्री प्रियंक कानूनगो ने मध्य प्रदेश के भोपाल में विदिशा और लांबाखेड़ा में अंबेडकर जयंती समारोह में भाग लिया।

- 15 अप्रैल, 2025 को, एनएचआरसी, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल ने भारत राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (आईएनएसए), नई दिल्ली में आयोजित आईएनएसए-एनसीजीजी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नेतृत्व विकास (लीड्स) - अप्रैल 2025 कार्यक्रम के हिस्से के रूप में एक व्याख्यान दिया। उन्होंने समापन भाषण भी दिया।

- 17 अप्रैल, 2025 को , एनएचआरसी, भारत के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ) बिद्युत रंजन षड़ंगी ने 'विकसित भारत के लिए डॉ. बीआर अंबेडकर के दृष्टिकोण की पुनर्कल्पना: समावेश, नवाचार और स्थिरता पर परिप्रेक्ष्य' विषय पर 17 वां डॉ. अंबेडकर स्मारक व्याख्यान दिया। इसका आयोजन भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा किया गया था।

- 18 अप्रैल, 2025 को , एनएचआरसी के महासचिव, श्री भरत लाल ने IIFM, भोपाल, मध्य प्रदेश में सेवारत IFS अधिकारियों के लिए मिड-करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 'मानव मूल्य और सुशासन' विषय पर एक सत्र लिया। सत्र के दौरान, उन्होंने नैतिक शासन और मानव अधिकारों के संरक्षण के बीच अंतर्निहित संबंध पर जोर दिया, संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने , समावेशी विकास को बढ़ावा देने और प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में लोक सेवकों की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने अधिक समतापूर्ण और टिकाऊ समाज के निर्माण के लिए रोजमर्रा की शासन प्रथाओं में मानवीय गरिमा, करुणा और पारिस्थितिक जिम्मेदारी को एकीकृत करने के महत्व को भी रेखांकित किया।

- 19 अप्रैल, 2025 को , एनएचआरसी, भारत के सदस्य, श्री प्रियंक कानूनगो ने भोपाल, मध्य प्रदेश में बाबा साहेब अंबेडकर की 135 वीं जयंती के अवसर पर आयुध रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित 'मानव अधिकार' पर एक व्याख्यान दिया।

- 22 अप्रैल, 2025 को एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने तमिलनाडु के तंजावुर के त्रिची में स्कूल ऑफ लॉ, शास्त्र विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 'विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मानव अधिकार' पर नानी पालकीवाला स्मारक व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि उभरते चौथी पीढ़ी के मानव अधिकारों को आकार देने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर कानूनी पेशेवरों से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

  उन्होंने चौथी पीढ़ी के अधिकारों के भीतर दो प्राथमिक श्रेणियों के रूप में शारीरिक अधिकारों और डिजिटल अधिकारों की पहचान की, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति से प्रभावित हो रहे हैं। यूएसए के संघीय न्यायालय और यूके के क्वींस कोर्ट के मामलों का संदर्भ देते हुए, उन्होंने विज्ञान में सत्य की खोज और मानव अधिकार कानून में न्याय की खोज के बीच अंतर किया। दोनों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, उन्होंने चर्चा की कि वैज्ञानिक प्रगति आपराधिक न्याय के प्रशासन को कैसे प्रभावित कर रही है, कैसे वे नए अधिकारों को जन्म दे रहे हैं, और कैसे वे मौजूदा अधिकारों के लिए एक साथ खतरा पैदा कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस प्रक्रिया में दीर्घकालिक अधिकार और पारंपरिक मूल्य प्रभावित हो सकते हैं।

  उन्होंने युवा विधि छात्रों से इन मुद्दों पर विचारपूर्वक तथा सूक्ष्म दृष्टिकोण से विचार करने का आग्रह किया तथा आगाह किया कि विज्ञान के विपरीत, जहां गलतियों को अक्सर सुधारा जा सकता है, न्याय के अंतिम चरण में गलत निर्णय के कारण सुधार की कोई गुंजाइश नहीं रहती।

- 26 अप्रैल, 2025 को एनएचआरसी, भारत के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ) बिद्युत रंजन षड़ंगी ने गंजम बार एसोसिएशन, ब्रह्मपुर ओडिशा द्वारा आयोजित 'मानव अधिकार सक्रियता और कानूनी बिरादरी की भूमिका' पर एक सेमिनार को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया।

- 27 अप्रैल, 2025 को, एनएचआरसी, भारत की सदस्य, श्रीमती विजया भारती सयानी ने यूनिसेफ, सुषेना फाउंडेशन और ऋषिहुड विश्वविद्यालय द्वारा भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन क्षेत्रीय बैठक- 2025 में 'वैश्विक स्वास्थ्य के लिए शिशु और छोटे बच्चों के आहार को बढ़ावा देना' गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि एनएचआरसी, भारत ने पोषण को एक मौलिक मानव अधिकार माना है। इसके परामर्श कुपोषण के बहुआयामी कारणों को उजागर करते हैं, व्यापक आर्थिक और राजनीतिक संदर्भ में सामाजिक सुरक्षा, खाद्य प्रणालियों और स्वास्थ्य तक पहुँच के प्रभाव को संबोधित करते हैं। सदस्य ने यह भी कहा कि एकीकृत बाल विकास योजना, पोषण अभियान और भोजन के अधिकार को लागू करने योग्य अधिकारों के रूप में लागू करने पर आयोग का ध्यान साझा एजेंडे को मजबूती और स्पष्टता देता है।

  उन्होंने प्रतिभागियों के इस विचार का समर्थन किया कि स्तनपान को अब व्यक्तिगत निर्णय के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए; इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य जिम्मेदारी के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, इसका सम्मान किया जाना चाहिए और इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। विशेषज्ञों, विभिन्न चिकित्सा विश्वविद्यालयों के डॉक्टरों और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने भी इसमें भाग लिया।

- 29 अप्रैल, 2025 को एनएचआरसी, भारत के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ) बिद्युत रंजन षड़ंगी ने ओएबी भुवनेश्वर के स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह में भाग लेने के लिए भुवनेश्वर , ओडिशा का दौरा किया। अगले दिन उन्होंने ओडिशा श्रीराम चंद्र भवन, कटक में 44 वें राज्य स्तरीय भक्तकवि जयदेव जयंती कार्यक्रम में भाग लिया।

- 30 अप्रैल, 2025 को , एनएचआरसी, भारत के सदस्य, श्री प्रियंक कानूनगो ने राष्ट्र निर्माण में लगे गुमनाम कर्मयोगियों को सम्मानित करने और जमीनी स्तर के समुदायों के बीच संवैधानिक और मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित “राष्ट्र ज्योति सम्मान” में भाग लेने के लिए बिहार के सारण जिले के छपरा का दौरा किया।

आगामी कार्यक्रम

5 मई, 2025	स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों के लिए दो सप्ताह की ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप का आयोजन करेगा।
16 जून, 2025	नई दिल्ली स्थित अपने परिसर में स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों के लिए ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू करेगा।

Complaints in April, 2025

प्राप्त नई शिकायतों की संख्या	4,829
पुराने मामलों सहित निपटाए गए मामलों की संख्या	3,207
आयोग के विचाराधीन मामलों की संख्या	12,325

अप्रैल, 2024 से मार्च, 2025 तक एनएचआरसी, भारत की उपलब्धियां

12
12 अक्टूबर, 1993 को स्थापित राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत तीन दशकों से अधिक समय से मानव अधिकारों का दृढ़ संरक्षक रहा है। देश के प्रमुख मानव अधिकार निकाय के रूप में, एनएचआरसी, भारत ने समाज के सभी वर्गों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

त्वरित जांच, मानव अधिकार उल्लंघनों के समाधान और सक्रिय पहल के माध्यम से, आयोग न्याय को बनाए रखने के लिए अथक प्रयास करता है। इसके प्रयास सीमाओं से परे हैं - राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन, अंतरराष्ट्रीय मंचों से जुड़ना और विचारों का आदान-प्रदान करने और अधिक मानवीय दुनिया के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए वैश्विक संवाद को बढ़ावा देना।

इस प्रकार, न्याय, करुणा और कार्रवाई में निहित विरासत के साथ, एनएचआरसी, भारत ने 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च, 2025 तक की समीक्षाधीन अवधि के दौरान आशा की किरण और आवाजहीनों के लिए एक आवाज के रूप में काम करना जारी रखा है। आयोग ने एक गतिशील और प्रभावशाली एजेंडा का पालन किया - जिसमें त्वरित हस्तक्षेप, पीड़ितों को राहत के साथ शिकायत निवारण, जमीनी स्तर पर जांच, नीति सलाह, अधिकारियों को संवेदनशील बनाना और गैर सरकारी संगठनों, सीएसओ, राज्य आयोगों और मीडिया के साथ गहन जुड़ाव शामिल है। प्रत्येक पहल के साथ, एनएचआरसी मानव अधिकारों के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है - सभी के लिए सम्मान, न्याय और जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

नये अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा कार्यभार ग्रहण

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने इस वर्ष नए अध्यक्ष और सदस्यों का स्वागत किया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने 30 दिसंबर, 2024 को अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। उसी दिन झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति

▶ न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन महासचिव श्री भरत लाल से एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष के रूप में अपनी नियुक्ति का राष्ट्रपति वारंट प्राप्त करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए

▶ इस अवसर पर मंच पर उपस्थित गणमान्य व्यक्ति

▶ न्यायमूर्ति (डॉ) बिद्युत रंजन षड़ंगी और श्री प्रियंक कानूनगो महासचिव श्री भरत लाल से एनएचआरसी, भारत के सदस्य के रूप में अपना नियुक्ति राष्ट्रपति वारंट प्राप्त करते हुए

(डॉ.) बिद्युत रंजन षड़ंगी भी सदस्य के रूप में उनके साथ शामिल हुए, और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के पूर्व अध्यक्ष श्री प्रियंक कानूनगो ने 21 दिसंबर 2024 को सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। एनएचआरसी , भारत के महासचिव और सीईओ श्री भरत लाल ने उन्हें राष्ट्रपति द्वारा जारी नियुक्ति पत्र प्रदान किया।

ये नियुक्तियाँ पिछले अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा और सदस्य श्री राजीव जैन का कार्यकाल 1 जून, 2024 को और डॉ. ज्ञानेश्वर एम. मुले का कार्यकाल 24 अप्रैल, 2024 को पूरा होने के बाद की गई हैं। अंतरिम में , एनएचआरसी सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी ने कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

मानव अधिकार उल्लंघन की शिकायतों का समाधान

आयोग ने कुल 58,753 मामले दर्ज किए, जिनमें 99 मामले स्वतः संज्ञान के आधार पर प्रारंभ किए गए थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार न्यायिक हिरासत में 1,987 मौतें, पुलिस हिरासत में 140 मौतें और पुलिस मुठभेड़ में 120 मौतें हुईं। मानव अधिकार शिकायतों की शीर्ष दस श्रेणियां विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा असामाजिक तत्वों द्वारा उपद्रव (7,318), विधिसम्मत कार्रवाई करने में विफलता (4,192), सत्ता का दुरुपयोग (3,102), भूमि विवाद (2,987), न्यायिक हिरासत में मौतें (1,987), सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा निष्क्रियता (1,628), वैवाहिक विवाद (1,620), पारिवारिक विवाद (1,598), असामाजिक तत्वों द्वारा धमकी/धमकी/जबरन वसूली और भूमि हड़पने (1,364) के मामलों में कार्रवाई, चूक और निष्क्रियता के कारण हैं।

पिछले वर्ष के कैरी-फॉरवर्ड मामलों सहित कुल 55,821 मामलों का निपटारा किया गया। 332 मामलों में पीड़ितों या उनके परिजनों को 13.45 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता की संस्तुति की गई। 23 मामलों में मौके पर जांच की गई और न्यायिक हिरासत में मौतों के 1,480 मामलों और पुलिस हिरासत में मौतों के 236 मामलों तथा मुठभेड़ में मौतों के 185 मामलों का विश्लेषण किया गया। इसके अलावा, 202 मामले ऐसे थे जिनमें आयोग ने अपनी जांच टीम के माध्यम से विभिन्न आरोपों के मद्देनजर तथ्य पाए।

वर्ष के दौरान अपने कई प्रभावशाली कार्यों के बीच, एनएचआरसी ने देश भर में गंभीर मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों में कई उल्लेखनीय हस्तक्षेप किए। इनमें पश्चिम बंगाल के संदेशखली में चल रही हिंसा और अधिकारों के हनन को संबोधित करना और हरियाणा के मानेसर में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के गोदाम में श्रम-विरोधी प्रथाओं को उजागर करना शामिल था। आयोग ने नाता प्रथा की अमानवीय प्रथा के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाया , केरल में एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण के एक चौंकाने वाले मामले में हस्तक्षेप किया और तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर प्लांट में कथित तौर पर विवाहित महिलाओं को काम से बाहर रखने के लिए एप्पल डिवाइस के एक प्रमुख निर्माता फॉक्सकॉन द्वारा कार्यस्थल पर भेदभाव के आरोपों का जवाब दिया।

समय पर नोटिस और संबंधित अधिकारियों के साथ सक्रिय जुड़ाव के माध्यम से, एनएचआरसी ने जवाबदेही और न्याय के लिए जोर दिया। कई मामलों में, पीड़ितों ने आयोग की त्वरित और निर्णायक कार्रवाई के लिए अपना हार्दिक आभार व्यक्त किया - मानव अधिकारों के एक सतर्क और दयालु रक्षक के रूप में एनएचआरसी की भूमिका की पुष्टि की।

राष्ट्रीय सम्मेलनः परिवर्तन के लिए संवाद

पूरे वर्ष के दौरान, एनएचआरसी, भारत ने मानव अधिकारों के ज्वलंत मुद्दों पर प्रकाश डालने और सार्थक संवाद को बढ़ावा देने के लिए पांच राष्ट्रीय सम्मेलनों की श्रृंखला आयोजित की। इन मंचों ने वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, राष्ट्रीय और राज्य आयोगों, कानूनी विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, नागरिक समाज की आवाज़ों और एनएचआरसी के अपने विशेष मॉनिटर और रिपोर्टर्स को एक साथ लाने के लिए शक्तिशाली मंच के रूप में काम किया।

इसका उद्देश्य मौजूदा कानूनों का मूल्यांकन करना, कार्यान्वयन में खामियों को दूर करना तथा देश भर में मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए कार्यान्वयन योग्य समाधान तैयार करना था।

संबोधित किए गए प्रमुख विषय:

- **कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा**

  संगोष्ठी में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया गया। संगोष्ठी में मौजूदा कानूनों को मजबूत करने, सुरक्षा और सामाजिक ऑडिट करने और इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए लिंग संवेदीकरण कार्यक्रमों को लागू करने के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

- **डिजिटल युग में मानव दुर्व्यापार से निपटना**

  सम्मेलन में दुर्व्यापार अपराधों को बढ़ावा देने में इंटरनेट, सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन उपकरणों के उपयोग पर प्रकाश डाला गया और प्रौद्योगिकी, कानून प्रवर्तन और सामुदायिक भागीदारी से जुड़े निवारक उपायों की खोज की गई। प्रमुख सिफारिशों में अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम (आईटीपीए) में संशोधन करके साइबर दुर्व्यापार को शामिल करना और आईटीपीए और आईटी अधिनियम के बीच संबंध स्थापित करना शामिल था।

- **मानसिक स्वास्थ्य : कक्षा से लेकर कार्यस्थल तक तनाव से निपटना**

  सम्मेलन में तीन क्षेत्रों को शामिल किया गया, अर्थात् 'बच्चों और किशोरों में तनाव', 'उच्च शिक्षण संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियां' और 'कार्यस्थल पर तनाव और थकान।' इसका उद्देश्य शिक्षा से लेकर रोजगार तक जीवन के विभिन्न चरणों में तनाव के मनोवैज्ञानिक प्रभावों का पता लगाना और विभिन्न क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशें प्रस्तावित करना है।

▶ एनएचआरसी, भारत की कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीमती विजया भारती सयानी 'डिजिटल युग में मानव दुर्व्यापार का सामना' विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए

- **वृद्ध व्यक्तियों के अधिकार**

  सम्मेलन में तीन तकनीकी सत्रों में चर्चा की गई, जिनमें 'वृद्धों की उम्र बढ़ना', 'वृद्धावस्था के जेंडर आधारित पहलू का विश्लेषण और उससे निपटने के तरीके' तथा 'स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य का मूल्यांकन' जैसे मुद्दे शामिल थे।

- **मानव अधिकार प्रयासों को मजबूत करने के लिए एसएचआरसी, विशेष प्रतिवेदकों और मॉनिटरों के साथ सम्मेलन**

  सम्मेलन का उद्देश्य पूरे भारत में मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए एनएचआरसी, उसके विशेष प्रतिवेदकों/विशेष मॉनीटरों और एसएचआरसी के बीच सहयोग बढ़ाना था। चर्चा में शिकायत प्रबंधन, एनएचआरसी की सलाह पर अनुवर्ती कार्रवाई, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना, एसएचआरसी के लिए क्षमता निर्माण और विशेष प्रतिवेदकों और मॉनीटरों के दौरे और रिपोर्ट पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें मानव अधिकारों को बढ़ावा देने में एनएचआरसी के साथ अधिक प्रभावी सहयोग के लिए एसएचआरसी के सुझावों पर भी चर्चा की गई।

विविध दृष्टिकोणों को एकजुट करके इन सम्मेलनों ने मजबूत नीतियों, बेहतर संरक्षण और अधिक समावेशी मानव अधिकार परिदृश्य का मार्ग प्रशस्त करने में मदद की।

▶ एनएचआरसी, भारत की कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीमती विजया भारती सयानी महासचिव श्री भरत लाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में एसएचआरसी, विशेष प्रतिवेदकों और मॉनिटरों के साथ सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए

इसके 19 अप्रैल, 2024 को एनएचआरसी के सभी पदेन सदस्यों की बैठक भी आयोजित की, जिसमें सात राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष शामिल थे। इस बैठक की अध्यक्षता एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष द्वारा की गई। इस बैठक में कमज़ोर और हाशिए पर पड़े वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मुद्दे पर चर्चा की गई और इस संबंध में सर्वोत्तम प्रथाओं और वार्षिक कार्य योजनाओं को साझा किया गया। बैठक में भारत में मानव अधिकार तंत्र में समावेशिता और बहुलता को भी रेखांकित किया गया।

सहयोगात्मक कार्यक्रम

आयोग ने जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करने के लिए मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित संगोष्ठियों और गतिविधियों के लिए विभिन्न संगठनों के साथ सहयोग किया। कुछ महत्वपूर्ण सहयोगी कार्यक्रम थे: ' स्वास्थ्य सेवा तक सार्वभौमिक पहुँच: डिजिटल समाधान' पर राष्ट्रीय सम्मेलन, सांकला फाउंडेशन के सहयोग से 'भारत में वृद्धावस्था: कार्रवाई योग्य समाधान - वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं से अंतर्दृष्टि प्राप्त करना' पर एक दिवसीय संगोष्ठी।

▶ नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वी. के. पॉल 'भारत में वृद्धावस्था: कार्यान्वियन योग्य समाधान' विषय पर आयोजित सेमिनार में बुजुर्गों की स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर पहले सत्र की अध्यक्षता करते हुए

▶ केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव श्री अमित यादव 'भारत में वृद्धावस्था: व्यावहारिक समाधान' विषय पर आयोजित सेमिनार में आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक समावेशन और जीवन की गुणवत्ता पर दूसरे सत्र की अध्यक्षता करते हुए

आयोग ने मुंबई में दो दिवसीय वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2024 का सहयोग किया। इसका आयोजन इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट साइकियाट्री और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज द्वारा किया गया था। शिखर सम्मेलन में डिजिटल नवाचारों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा के भविष्य पर विचार-विमर्श करने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों को एक मंच पर लाया गया। डिजिटल स्वास्थ्य तंत्र के अलावा, इसमे मानसिक स्वास्थ्य और मानव अधिकारों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।

▶ केंद्रीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए

इसके अलावा, आयोग ने सांकला फाउंडेशन और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (आईबीसीए) के सहयोग से आयोजित एक कला प्रदर्शनी 'साइलेंट कन्वर्सेशन: फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर' का भी सहयोग किया। इस पहल ने आदिवासी समुदायों, उनकी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों और उनके द्वारा प्रभावित प्राकृतिक दुनिया के बीच गहरे संबंधों का जश्न मनाया, जो उनकी पर्यावरण-अनुकूल जीवन शैली को दर्शाता है।

इस प्रदर्शनी के बाद, उनमें से 15 आदिवासी कलाकारों को राष्ट्रपति भवन में 9 दिवसीय 'आर्टिस्ट-इन-रेजीडेंसी' कार्यक्रम के लिए चुना गया। भारत की माननीय राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इन कलाकृतियों में गहरी रूचि दिखाई, कलाकारों से बातचीत की और उन्हें सम्मानित किया।

▶ भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मु और एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल मिजोरम के एक आदिवासी कलाकार के साथ बातचीत करते हुए

▶ भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जनजातीय कलाकारों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ

कोर ग्रुप

एनएचआरसी, भारत ने मानव अधिकारों से संबंधित विभिन्न विषयगत मुद्दों पर कई कोर ग्रुप गठित किए हैं और संबंधित मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले डोमेन विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करता है। समीक्षाधीन वर्ष यानी 2024-25 के दौरान, आयोग ने मानव अधिकारों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने और उन्हें समझने के लिए 9 कोर ग्रुप मीटिंग आयोजित कीं, ताकि निम्नलिखित विषयों पर सुधार के लिए सरकार को अपनी सिफारिशें दी जा सकें:

आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार

बैठक में फोरेंसिक रिपोर्ट में देरी को दूर करने के तरीके खोजने, अभियोजन प्रणाली में सुधार के क्षेत्रों, अपराधों को छिपाने तथा आपराधिक न्याय प्रणाली के अंगों में प्रयुक्त भाषा को सरल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा सदस्य श्री राजीव जैन और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में आपराधिक न्याय प्रणाली सुधारों पर बैठक की अध्यक्षता करते हुए

स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य

चार तकनीकी सत्रों में मेडिकल कॉलेजों में बांड जारी करने, डॉक्टरों को वजीफा वितरण से संबंधित मुद्दों, मरीजों के अधिकारों और डॉक्टरों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

बंधुआ मजदूर

बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन में आने वाली बाधाओं, तथा पीड़ितों के बचाव, राहत और पुनर्वास में आने वाली कमियों, जिनमें महिलाएं और बच्चे अक्सर निशाना बनते हैं, पर चर्चा की गई।

▶ एनएचआरसी, भारत की कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीमती विजया भारती सयानी महासचिव श्री भरत लाल और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करते हुए

व्यापार और मानव अधिकार

चर्चाएं 'सम्मान की रक्षा: आपूर्ति श्रृंखलाओं में मानव अधिकारों के लिए समुचित तत्परता', मौजूदा प्रणालियों में अंतराल और चुनौतियों को समझना और पहचानना तथा भविष्य का मार्ग खोजने के लिए उभरते उत्तम तरीकों पर केंद्रित रहीं।

मानव अधिकार संरक्षक और गैर सरकारी संगठन

चर्चा का उद्देश्य भारत में मानव अधिकार संरक्षकों की भूमिका, जिम्मेदारियों और चुनौतियों की पहचान करना था।

पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और मानव अधिकार

विचार-विमर्श से प्राप्त सिफारिशों में जलवायु परिवर्तन के आयामों को समझने के लिए जिला स्तर पर डेटा एकत्र करने तथा इसके प्रभाव को कम करने के लिए स्थायी समाधानों के साथ विशेषज्ञता विकसित करने के लिए स्थानीय समुदायों के साथ सहयोग करने की बात कही गई।

कानून से संघर्षरत बच्चों के मानव अधिकार

चर्चा में सुझाव दिया गया कि कानून के साथ संघर्षरत बच्चों से संबंधित विभिन्न एजेंसियों के पास उपलब्ध आंकड़ों की जांच और प्रमाणीकरण के लिए सबसे पहले विशेषज्ञों का एक कार्य समूह गठित करना आवश्यक है, विशेष रूप से उनकी आयु और संख्या और अनिवार्य रूप से उनकी पहचान नहीं, ताकि समस्याओं को समझा जा सके और उनका निवारण किया जा सके। इसके लिए पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी), राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) और विभिन्न उच्च न्यायालयों के साथ समन्वय और परामर्श पर जोर दिया गया।

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में कानून के साथ संघर्ष में मानवाधिकार पर कोर समूह की अध्यक्षता करते हुए

दिव्यांगता

तीन तकनीकी सत्रों में 'प्रगतिशील दिव्यांगता को परिभाषित और वर्गीकृत करना', 'दिव्यांगता से निपटने के लिए कानूनी और नीतिगत ढांचा' तथा 'समावेशी और न्यायसंगत सहायता सेवाओं को बढ़ावा देना' पर ध्यान केंद्रित किया गया।

मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) के सम्मान के साथ काम करने के अधिकार को सुरक्षित करना

जिन तीन तकनीकी सत्रों पर विचार-विमर्श किया गया, वे थे - 'आशा के समक्ष आने वाली चुनौतियों की उभरती प्रकृति', 'आशा के अधिकारों के संरक्षण एवंप्रोत्साहन में सरकार की भूमिका', तथा भविष्य की राह: आशा के लिए सम्मान के साथ काम करने का अधिकार सुनिश्चित करना।'

ओपन हाउस चर्चा

इन कोर ग्रुप बैठकों के अलावा, आयोग ने वित्तीय वर्ष के दौरान मानव अधिकारों के विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न हितधारकों के साथ 10 ओपन हाउस चर्चाएं भी आयोजित कीं , जो निम्नानुसार थीं:

पीड़ितों के लिए कानूनी सहायता तक पहुंच बढ़ाना

चर्चा में पुलिस स्टेशनों पर कानूनी सहायता प्राप्त करने में आरोपी व्यक्तियों, पीड़ितों और उनके परिवारों के सामने आने वाली चुनौतियों, भारत में पीड़ितों के मुआवजे और इन योजनाओं पर "पीड़ित" की कानूनी परिभाषा के प्रभाव तथा पीड़ितों के लिए न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करने में गैर सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों की केंद्रीय भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया।

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा सदस्यों श्री राजीव जैन और श्रीमती विजया भारती सयानी, महासचिव श्री भरत लाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करते हुए

भारत में जनजातीय शिक्षा: समस्याएं, नीतियां और परिप्रेक्ष्य

चर्चा में जनजातीय समुदायों के लिए शिक्षा तक पहुंच में लगातार आने वाली बाधाओं, जैसे भौगोलिक अलगाव, भाषाई अंतर और सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

भिक्षावृत्ति रोकना और भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों का पुनर्वास

बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की गई पहलों और कल्याणकारी कार्यक्रमों, देश में सामाजिक-आर्थिक असमानताओं, सामाजिक उपेक्षा और भीख मांगने में लगे व्यक्तियों के पुनर्वास आदि पर चर्चा करना था।

यौनकर्मियों और हाशिए पर रहे समुदायों के बच्चों के मानव अधिकार

इस बैठक में यौनकर्मियों के बच्चों के अधिकारों और चुनौतियों जैसे सामाजिक कलंक, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुंच, तथा शोषण के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता पर ध्यान केंद्रित किया गया; हाशिए के समुदायों के बच्चों के अधिकार, उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और सेवाओं तक पहुंचने में आने वाली बाधाओं पर जोर दिया गया तथा ऐसे बच्चों के अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन में सुधार के लिए नीति निर्माताओं, गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज संगठनों जैसे हितधारकों के बीच रणनीतियों और सहयोगात्मक प्रयासों की खोज की गई।

खेल और मानव अधिकार

ओपन हाउस के तीन तकनीकी सत्रों में 'दुर्व्यवहार की घटनाओं के बाद खिलाड़ियों का पुनर्वास', 'भारत में खिलाड़ियों का मानसिक स्वास्थ्य' और 'खिलाड़ियों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक संस्थागत ढांचा' शामिल थे।

गिग श्रमिकों के अधिकार

बैठक का उद्देश्य गिग वर्करों की चुनौतियों का समाधान करना था, जिसमें उनकी कानूनी अस्पष्टता, लंबे समय तक काम करना, लैंगिक असमानता, वित्तीय अस्थिरता, स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, जोखिमों से सुरक्षा और संरक्षा, शारीरिक थकावट आदि शामिल थे।

डिजिटल युग में गोपनीयता और मानव अधिकार सुनिश्चित करना

बैठक में डेटा के दुरुपयोग और डेटा उल्लंघनों के कारण उत्पन्न होने वाली समस्या की गंभीरता पर व्यापक चर्चा की गई। डेटा सुरक्षा नियमों के मसौदे में खामियों, डेटा उपयोग और गोपनीयता संबंधी चिंताओं, कॉर्पोरेट डिजिटल जिम्मेदारी, उपभोक्ता अधिकार और नीति सरलीकरण तथा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम, 2023 के कई प्रमुख प्रावधानों पर भी चर्चा की गई।

हाथ से मैला ढ़ोने वालो के अधिकार

बैठक का उद्देश्य हाथ से मैला ढोने की प्रथा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर चर्चा करना और इसमें शामिल लोगों की गरिमा और भलाई सुनिश्चित करना था। तीन तकनीकी सत्र थे: 'भारत में सेप्टिक और सीवर टैंकों में होने वाली मौतों के मुद्दे पर विचार-विमर्श', 'हाथ से मैला ढोने की प्रथा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता' और 'हाथ से मैला ढोने वालों के लिए पुनर्वास उपाय: गरिमा और सशक्तिकरण की दिशा में एक मार्ग और भविष्य की राह।

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन, हाथ से मैला ढ़ोने वालो के अधिकारों पर बैठक की अध्यक्षता करते हुए साथ में सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ) बिद्युत रंजन षड़ंगी, श्रीमती विजया भारती सयानी, महासचिव श्री भरत लाल और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित

मछुआरों के अधिकार

बैठक का उद्देश्य मछुआरों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा के महत्व, उनकी चिंताओं, जिसमें सुरक्षित कार्य स्थितियों, उचित मुआवजे और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच का समर्थन करना शामिल है, पर चर्चा करना था। तीन तकनीकी मुद्दों में भारत के मछुआरा समुदायों के मानव अधिकारों का उल्लंघन, मछली पकड़ने के अधिकार और पर्यावरण संबंधी मुद्दे और मछुआरों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपाय और कल्याणकारी योजनाएं शामिल थीं।

भारत में महिलाओं के प्रति अपमानजनक व्यवहार: चुनौतियाँ और भविष्य की राह

बैठक का उद्देश्य महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करना था, जिसमें लैंगिक भेदभाव और असमानता, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, कानूनों को मजबूत बनाना, शिक्षा, लैंगिक भेदभाव आदि शामिल थे।

राष्ट्रीय संगोष्ठियों, कोर ग्रुप बैठकों और ओपन हाउस चर्चाओं के दौरान विचार-विमर्श से प्राप्त सुझावों पर आयोग ने आगे विचार किया और केंद्र तथा राज्य सरकारों को अपनी सिफारिशें अंतिम रूप दीं। आयोग को कुछ राज्यों से अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हुई जबकि अन्य राज्यों से अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

अनुसंधान

एनएचआरसी, भारत ने पीएचआर अधिनियम के तहत अपने अधिदेश के अनुसार, जागरूकता पैदा करने और समस्याओं के समाधान के लिए मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर शोध अध्ययनों को बढ़ावा देना जारी रखा। इसने 2024-2025 में इस गतिविधि को और अधिक गति प्रदान की। विभिन्न मानव अधिकार मुद्दों पर 15 शोध अध्ययन पूरे हो चुके हैं और लगभग 15 अध्ययन चल रहे हैं।

पूर्ण किये गए अध्ययनों में शामिल हैं:

1. स्थानीय स्वशासन में मानव अधिकारों को बढ़ावा देना: पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से साक्ष्य।
2. वन एवं जनजातीय समुदायों (एफटीसी) के मानव अधिकारों की सुरक्षा में ग्राम पंचायतें और सहभागी स्थानीय शासन कितने प्रभावी हैं - महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के सुदूर और चरमपंथ प्रभावित क्षेत्रों में चुनिंदा ग्राम पंचायतों का एक अध्ययन।
3. उपलब्धियों का अंतर या अवसर का अंतर (ओ-गैप): गढ़चिरौली, वारंगल, आदिलाबाद, श्रीकाकुलम, बस्तर और कोंडेगांव जिले की आदिवासी लड़कियों के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के शैक्षिक स्थानों में समान शैक्षिक अवसरों (ईईओ) तक पहुंच, समान सीखने के अवसरों (ईएलओ) की पहुंच और सीखने की गरीबी (एलपी) का एक सामाजिक - कानूनी अध्ययन।
4. मध्य भारत (महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश) के अंतर्राज्यीय सीमावर्ती क्षेत्रों पर स्थित जनजातीय क्षेत्रों के विशेष संदर्भ में आश्रम विद्यालयों (लड़के और लड़कियों के आवासीय) के कामकाज पर एक अनुभवजन्य अध्ययन।
5. आंगनवाड़ियों में भाग लेने वाले 3-5 वर्ष की आयु के बच्चों में कुपोषण की व्यापकता और संबंधित कारक : उत्तरी भारत (दिल्ली, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश) का एक अध्ययन।
6. भारत में शरणार्थी शिक्षार्थियों के लिए शिक्षा: पहुंच बढ़ाने के लिए नीति-उन्मुख नवाचार और तकनीकी दृष्टिकोण की कल्पना।
7. दक्षिण भारत और उत्तर-पूर्व में घरेलू कामगार: सम्मान और अधिकार के परिप्रेक्ष्य से स्थितिजन्य विश्लेषण।
8. शरणार्थियों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आजीविका तक पहुंच।
9. स्थानीय स्वशासन और अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों के अधिकारों का संवर्धन : ओडिशा के मलकानगिरी जिले और झारखंड के गुमला जिले का तुलनात्मक अध्ययन।
10. भारतीय वस्त्र उद्योग में बालिका श्रम की व्यापकता - तमिलनाडु और कर्नाटक में वस्त्र एवं परिधान क्लस्टरों पर एक अध्ययन।
11. गुमशुदा बच्चों पर शोध अध्ययन।
12. बाल देखभाल संस्थानों की भूमिका और सी.सी.आई. में बच्चों का पुनर्वास।
13. महिलाओं और किशोरियों के लिए स्वाधार गृह और उज्ज्वला गृह की स्थिति, कार्यप्रणाली और प्रभावशीलता पर एक अध्ययन।
14. भारत में एलजीबीटी समुदाय के बीच मादक द्रव्यों के सेवन और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं: मानसिक स्वास्थ्य विकारों और तनाव, मुकाबला, कथित सामाजिक समर्थन, व्यवसाय और धार्मिकता के बीच अंतर-संबंध का एक अध्ययन।
15. भारत में श्रम शक्ति में महिलाओं की घटती भागीदारी: कारकों और बाधाओं की जमीनी स्तर पर जांच।

एनएचआरसी द्वारा जारी और नव-प्रारंभ किए गए अनुसंधान अध्ययनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. दिव्यांग महिलाओं, विशेषकर प्रवासी परिवारों के बीच श्रम बाजार और रोजगार तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौशल विकास।
2. दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा रोजगार तक पहुंच: स्थिति, बाधाओं की पहचान और संबंधित कारक
3. अपराध के पीड़ितों को मुआवजा देना: पीड़ित मुआवजा योजनाओं और उनकी प्रभावशीलता का अखिल भारतीय अध्ययन
4. छाया में बच्चे: दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में संगठित भीख मांगने के आयामों का खुलासा
5. दिल्ली-एनसीआर के विशेष संदर्भ में भारत में गोद लेने की प्रक्रिया के सामाजिक-कानूनी पहलुओं का अध्ययन
6. मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए सामाजिक रूप से जिम्मेदार आपूर्ति श्रृंखलाओं पर एक अध्ययन
7. भारत में गैर-लकड़ी वन उत्पाद का व्यावसायीकरण: निर्धारक और आपूर्ति श्रृंखला
8. महामारी, मानव अधिकार और आजीविका का भविष्य: भारतीय अर्थव्यवस्था से एक अनुभवजन्य साक्ष्य
9. जेल और पुलिस हिरासत में मृत्यु के रुझान और पैटर्न का विश्लेषण: महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में ऐसी मृत्यु का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

10. हिरासत में मौत: झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में रुझान और पैटर्न

11. कानून से संघर्षरत बच्चों और पर्यवेक्षण गृहों में विचाराधीन कैदियों तथा एनडीपीएस अधिनियम के तहत विचाराधीन कैदियों/दोषियों जो सीसीआई/ पर्यवेक्षण गृहों और जेलों में बंद सड़ रहे, के बीच मामलों की बढ़ती संख्या के कारणों को समझने और नमूना राज्यों अर्थात दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में मौजूदा विधायी नीति और योजनाबद्ध प्रतिक्रिया की खोज करने के लिए एक अध्ययन

12. अंतर-पीढ़ीगत वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं के बच्चों द्वारा शिक्षा तक पहुंच में आने वाली सामाजिक बाधाओं का सामना करना

13. चिकित्सकों के अधिकारों की चिंता - भारत में अग्रिम पंक्ति के चिकित्सकों से संबंधित मानव अधिकार उल्लंघनों का विश्लेषण

14. एसिड हमले के पीड़ितों का पुनर्वास एवं पुनर्एकीकरण

15. मानव दुर्व्यापर: विभिन्न हितधारकों के बीच नैदानिक परीक्षणों के बारे में जागरूकता पर प्रश्नावली सर्वेक्षण के इष्टतम डिजाइन के एएचटीएसयू के कामकाज का एक मूल्यांकन अध्ययन

परामर्शी

एनएचआरसी, भारत ने समाज के कमजोर वर्गों की चिंताओं को उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए अच्छी तरह से अध्ययन और स्पष्ट सलाह के माध्यम से संबोधित करना जारी रखा। इस वर्ष, इसने हाल ही में जारी किए गए अपने 25 परामर्शी में दो और जोड़े। केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कार्यान्वयन के लिए भेजे गए ये दो नए परामर्शी इस प्रकार थे;

- विधवाओं के मानव अधिकारों के संरक्षण पर परामर्शी
- भीख मांगने में लगे गरीब, अशिक्षित बच्चों, महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए परामर्शी

क्षेत्रीय दौरा

शोध के अलावा, एनएचआरसी मानव अधिकारों की स्थिति और राज्य सरकारों और संबंधित अधिकारियों द्वारा अपने परामर्शी, दिशा-निर्देशों और सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन करने के लिए क्षेत्र का दौरा करता है। अध्यक्ष/कार्यवाहक अध्यक्ष, सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों ने सरकारी अधिकारियों को संवेदनशील बनाने और देश में मानव अधिकारों की स्थिति में सुधार के लिए प्रयास करने का आग्रह करने के लिए आश्रय गृहों, जेलों, अवलोकन गृहों, छात्रावासों, स्कूलों आदि जैसे विभिन्न स्थानों का दौरा किया।

▶ एनएचआरसी, भारत की कार्यवाहक अध्यक्ष, श्रीमती विजय भारती सयानी स्कूल का निरीक्षण करती हुई

वर्ष के दौरान, कार्यवाहक अध्यक्ष, श्रीमती विजया भारती सयानी ने विभिन्न प्रतिष्ठानों और सरकार द्वारा संचालित सुविधाओं का लगभग 15 बार दौरा किया, जिनमें मेडिकल कॉलेज, एसटी बालिका एवं बालक छात्रावास, आदिवासी छात्रावास, स्कूल, सरकारी सामान्य अस्पताल, एनजीओ शामिल थे, इसके अलावा उन्होंने जिला एवं राज्य अधिकारियों के साथ बैठकें भी कीं।

▶ एनएचआरसी, भारत की कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीमती विजया भारती सयानी और संयुक्त सचिव श्रीमती अनीता सिन्हा महाराष्ट्र में गरिमा गृह के निवासियों के साथ बातचीत करते हुए

एनएचआरसी, भारत के सदस्य श्री प्रियंक कानूनगो ने दिल्ली के उर्दू पार्क, जामा मस्जिद और मोटर मार्केट में महिलाओं और बच्चों के लिए आश्रय गृहों का निरीक्षण किया। उन्होंने मानव अधिकार जागरूकता फैलाने और स्थानीय समुदायों/लोगों के साथ-साथ नागरिक समाज संगठनों के प्रयासों

▶ एनएचआरसी, भारत के सदस्य, श्री प्रियंक कानूनगो, दिल्ली में जामा मस्जिद के पास एक आश्रय गृह का निरीक्षण करते हुए

को प्रोत्साहित करने के लिए ओखला, दिल्ली और मध्य प्रदेश के भोपाल, विदिशा और रायसेन जिलों में स्थित झुग्गी बस्तियों का भी दौरा किया।

इसके अलावा, आयोग ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ होने वाले भेदभाव के मुद्दे से भी चिंतित है और समय-समय पर सरकार को उनके मानव अधिकारों के लिए सुधार लाने के लिए सिफारिशें करता रहा है। सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों ने केंद्र सरकार द्वारा स्थापित आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के लिए सहायता (SMILE) योजना के तहत नौ राज्यों में गरिमा गृह नामक 12 समुदाय-आधारित संगठनों (CBO) का दौरा पूरा किया।

एनएचआरसी, भारत ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानव अधिकार स्थितियों की निगरानी के लिए 15 विशेष प्रतिवेदक नियुक्त किए हैं। उन्होंने आश्रय गृहों, जेलों, पर्यवेक्षण गृहों और इसी तरह के संस्थानों का विभिन्न दौरा किया, आयोग के लिए रिपोर्ट संकलित की जिसमें भविष्य की कार्रवाई के लिए उनके अवलोकन और सुझाव शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, आयोग ने 21 विशेष मॉनीटरस को नियुक्त किया है जिन्हें विशिष्ट विषयगत मानव अधिकार मुद्दों की देखरेख करने और आयोग को अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट करने का काम सौंपा गया है।

क्षमता निर्माण

आयोग अपनी पहुंच बढ़ाने और मानव अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम, सहयोगात्मक प्रशिक्षण और विभिन्न अन्य गतिविधियाँ आयोजित करता रहा है। इंटर्नशिप व्यक्तिगत रूप से और ऑनलाइन मोड में भी आयोजित की जाती है। यह विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों के लिए एक विशेष मानव अधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है, क्योंकि इसका मिशन सभी संस्थानों में मानव अधिकारों को बनाए रखना और उनकी सुरक्षा करना है, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार और सम्मान की रक्षा की जाए।

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन शीतकालीन इंटर्नशिप-2024 के समापन सत्र को संबोधित करते हुए

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आयोग ने देश भर के प्रतिष्ठित विधि विश्वविद्यालयों के साथ देश के विभिन्न भागों में मानव अधिकार आधारित विभिन्न विषय-वस्तुओं पर पाँच सफल मूट कोर्ट प्रतियोगिताएँ आयोजित कीं। मानव अधिकार वकालत का दायरा विधि विद्यालयों से आगे भी बढ़ाया गया, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज संगठनों और एटीआई, पीटीआई और जेटीआई में आयोजित सम्मेलनों और संगोष्ठियों सहित 45 से अधिक सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 3,200 प्रतिभागियों को 51.05 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इनके अलावा, मानव अधिकारों को समझने और उनके उल्लंघन से संबंधित शिकायतों के आयोग द्वारा प्रबंधन के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र प्रतिनिधिमंडलों के 48 आधे दिन के दौरे हुए, जिनमें उनके संकाय सदस्य भी शामिल थे, जिनकी कुल संख्या 2,229 थी।

इसके अलावा, 02-02 सप्ताह की 06 ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप, चार-चार सप्ताह की ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से 554 से अधिक विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों ने भाग लिया। एनएचआरसी के सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों और विषय विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न सत्रों में प्रशिक्षुओं को मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया गया। उन्हें जेलों, पुलिस स्टेशनों, गैर सरकारी संगठनों आदि की कार्यप्रणाली को समझने के लिए वर्चुअल और साथ ही भौतिक क्षेत्र के दौरे पर भी ले जाया गया।

▶ एनएचआरसी, भारत के संयुक्त सचिव श्री डी.के. निम एनएचआरसी-आरजीएसओआईपी खड़गपुर मूट कोर्ट प्रतियोगिता में उद्घाटन भाषण देते हुए

इंटर्नशिप कार्यक्रमों के अतिरिक्त, एनएचआरसी ने मानव अधिकारों पर संक्षिप्त जानकारी तथा आयोग की संरचना और कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए देश भर के विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के 2,229 से अधिक छात्रों और संकाय सदस्यों के साथ 48 से अधिक आधे दिन के दौरे किए।

आईएएस/आईपीएस/आईएफएस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षक कार्यक्रम का प्रशिक्षण

आयोग की एक और महत्वपूर्ण पहल प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की थी। उक्त समय-सीमा के दौरान, एनएचआरसी, भारत ने एक नई पहल के रूप में अखिल भारतीय सेवाओं की राष्ट्रीय अकादमियों के साथ मिलकर आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों, राज्य पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और जेलों के अधिकारियों को संवेदनशील बनाने और जमीनी स्तर पर काम करते हुए मानव अधिकारों के संरक्षण एवंउन्हें बढ़ावा देने की उनकी क्षमता का निर्माण करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए। महासचिव, श्री भरत लाल, वरिष्ठ अधिकारियों, सरकारी पदाधिकारियों, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के विषय विशेषज्ञों ने अधिकारियों के साथ उनके प्रशिक्षण के दौरान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संधियों, अनुबंधों और संबंधित कानूनों सहित मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर अपने अनुभव साझा किए, ताकि उन्हें संवेदनशीलता के साथ अपने आधिकारिक दायित्वों को पूरा करने में मदद मिल सके। इसके अलावा, आयोग ने अपने परिसर में अरुणाचल प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण का भी आयोजन किया।

स्थापना दिवस

सभी के मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने की इन गतिविधियों के अलावा, आयोग ने दो महत्वपूर्ण दिन भी मनाए- अपना स्थापना दिवस और मानव अधिकार दिवस। आयोग ने

▶ भारत के उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़ एनएचआरसी, भारत के स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए

▶ प्रतिभागियों का एक समूह

अपने 31 वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 12 अक्टूबर के बजाय 18 अक्टूबर, 2024 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 'वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों' पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया क्योंकि यह एक त्योहार के साथ मेल खाता था। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मानव अधिकारों के संरक्षण के मामले में भारत अन्य देशों से बहुत आगे है, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों, हाशिए पर पड़े और समाज के कमजोर वर्गों के। उन्होंने दुनिया के अन्य हिस्सों में मानव अधिकारों के उल्लंघन पर वैश्विक चुप्पी पर चिंता व्यक्त करते हुए मानव अधिकारों के एक सभ्यतागत संरक्षक के रूप में भारत की असाधारण भूमिका पर भी प्रकाश डाला।

इस अवसर पर 'बुजुर्गों के अधिकारों' पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में आयोग के बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प को दर्शाया गया है। आयोग ने इस संबंध में एक कोर ग्रुप बनाने और दिशा-निर्देश जारी करने सहित कई कदम उठाए हैं। सम्मेलन के तीन तकनीकी सत्रों में विभिन्न प्रमुख सरकारी अधिकारियों, प्रमुख मंत्रालयों के अधिकारियों और विशेषज्ञों ने सम्मेलन को संबोधित किया। इनमें 'बुजुर्गों की बढ़ती उम्र ' के मुद्दे पर चर्चा, ' बुजुर्गों की बढ़ती उम्र के लिंग आधारित पहलू का विश्लेषण और उससे निपटने के तरीके' और 'स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य का मूल्यांकन' शामिल थे। सम्मेलन में नीतियों के बीच अंतर, उनके कार्यान्वयन, नई चुनौतियों और भविष्य की राह पर विभिन्न विचार व्यक्त किए गए।

मानव अधिकार दिवस

10 दिसंबर, 2024 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मानव अधिकार दिवस समारोह के अवसर पर 'मानसिक स्वास्थ्य: कक्षा से कार्यस्थल तक तनाव से निपटना' विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य जीवन के विभिन्न चरणों में तनाव के मनोवैज्ञानिक प्रभावों की खोज करना था - शिक्षा से लेकर रोजगार तक, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में मानसिक

▶ भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मु सभा को संबोधित करती हुई

स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशें प्रस्तावित की जा सकें। सम्मेलन में मानसिक स्वास्थ्य, तनाव और स्वास्थ्य के बीच संबंधों पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञ, नीति निर्माता और हितधारक एक साथ आए। राष्ट्रीय सम्मेलन के तीन सत्र इस विषय पर केंद्रित थे: 'बच्चों और किशोरों में तनाव,' 'उच्च शिक्षण संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियां' और 'कार्यस्थल पर तनाव और थकान।'

इससे पहले, सभा को संबोधित करते हुए भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मानव अधिकार दिवस का उत्सव मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यूडीएचआर) में निहित आदर्शों पर विचार करने और एक ऐसे विश्व के निर्माण में योगदान देने के हमारे सामूहिक संकल्प की पुष्टि करने का अवसर प्रदान करता है जहाँ न्याय और मानवीय गरिमा समाज का आधार हैं। उन्होंने अधिकारों के उल्लंघन को संबोधित करने, जागरूकता बढ़ाने और हाशिए पर पड़े लोगों के अधिकारों को बनाए रखने के लिए नीतिगत बदलावों की सिफारिश करने में एनएचआरसी, भारत और एसएचआरसी की सराहना की। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आयामों पर विचार करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, जो कई समस्याओं को हल करता है और कई नई समस्याएँ भी पैदा करता है। उन्होंने बुजुर्गों की गरिमा और कल्याण को बनाए रखने वाली नीतियों और उपायों को तैयार करने का आह्वान किया।

अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र

एनएचआरसी, 2024-2025 के दौरान भारत की अंतरराष्ट्रीय भागीदारी वैश्विक मानव अधिकार वकालत में इसके नेतृत्व को रेखांकित करती है। गनहरी और एपीएफ में आयोग का मजबूत प्रतिनिधित्व, वैश्विक दक्षिण के लिए क्षमता निर्माण पहल और उच्च-स्तरीय रणनीतिक संवाद इसे घरेलू और वैश्विक स्तर पर समावेशी और अधिकार-आधारित शासन को आकार देने में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में स्थापित करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम - विश्व एक परिवार है के लोकाचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ कुटुम्बकम एनएचआरसी, भारत सहयोग, नवाचार और साझा शिक्षा के माध्यम से सभी के लिए न्याय, समानता और सम्मान को बढ़ावा देने के अपने मिशन को आगे बढ़ा रहा है।

वैश्विक मंचों में भागीदारी

- **गनहरी और एपीएफ की सहभागिताएं:** 5 से 9मई, 2024 तक , अध्यक्ष, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और महासचिव, श्री भरत लाल ने राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं के वैश्विक गठबंधन (गनहरी) और एशिया प्रशांत मंच (एपीएफ) द्वारा आयोजित कई प्रमुख कार्यक्रमों में भाग लिया।

- 5 मई, 2024 को न्यायमूर्ति मिश्रा और श्री लाल ने एनएचआरआई के एशिया पैसिफिक फोरम (एपीएफ) की गवर्नेंस कमेटी की बैठक में भाग लिया, जिसमें इसकी मध्यावधि रिपोर्ट, वार्षिक परिचालन योजना और बजट (2024-25) और एपीएफ नीतियों की समीक्षा की गई। इसके बाद, 6 मई, 2024 को, वे एपीएफ की क्षेत्रीय बैठक में शामिल हुए, ताकि अपने-अपने देशों में मानव अधिकारों को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने के लिए क्षेत्र में एनएचआरआई को मजबूत करने के लिए रणनीति बनाई जा सके। श्री भरत लाल ने जीएएनएचआरआई की वित्त समिति के अध्यक्ष के रूप में अपनी क्षमता में, 7 मई, 2024 को जिनेवा में आम सभा के दौरान वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत की। सभा ने वित्तीय और लेखा परीक्षा रिपोर्ट को अपनाया, 2024 के बजट को मंजूरी दी और धन उगाहने की रणनीतियों की रूपरेखा तैयार की।

- 8 मई, 2024 को, न्यायमूर्ति मिश्रा और श्री लाल ने 'व्यापार और मानव अधिकार पर जिनेवा के पैलेस डेस नेशंस में गनहरी 2024 वार्षिक सम्मेलन में: भाग लिया। 'व्यापार और मानव अधिकार विनियमन सत्र को संबोधित व्यापर और मानव अधिकार: 'एक स्मार्ट मिश्रण की ओर' को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति मिश्रा ने मानव अधिकार सिद्धांतों के साथ व्यावसायिक गतिविधियों को सुसंगत बनाने के भारत के प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने मानव अधिकारों पर

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और महासचिव, श्री भरत लाल जिनेवा में एनएचआरआई के एशिया प्रशांत मंच (एपीएफ) की गवर्नेंस कमेटी की बैठक में भाग लेते हुए

व्यावसायिक गतिविधियों के प्रभावों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वैच्छिक और अनिवार्य दोनों उपायों को शामिल करते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया। इसके अलावा, न्यायमूर्ति मिश्रा ने एनएचआरसी, भारत की पहलों को रेखांकित किया, जिसमें व्यापार और मानव अधिकारों पर एक कोर ग्रुप का गठन और समाज और व्यवसायों के विभिन्न क्षेत्रों पर विभिन्न सलाह जारी करना शामिल है, जिसका उद्देश्य सतत विकास के लिए विकास अनिवार्यताओं और मानव अधिकारों के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन प्राप्त करना है।

- **संयुक्त राष्ट्र, न्यूयॉर्क में वृद्धावस्था पर ओईडब्लूजी:** 20 से 24 मई, 2024 तक , एनएचआरसी, भारत की सदस्य, श्रीमती विजया भारती सयानी और संयुक्त सचिव, श्रीमती अनीता सिन्हा ने वृद्धावस्था पर 14 वें ओपन-एंडेड वर्किंग ग्रुप में भाग लिया, जिसमें बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल, सार्वजनिक भागीदारी और कल्याणकारी योजनाओं पर भारत की पहलों पर प्रकाश डाला गया।

- **मानव अधिकार परिषद के वक्तव्य:** 21 और 27 जून, 2024 को, एनएचआरसी, भारत ने मानव अधिकार परिषद के 56 वें सत्र के दौरान वीडियो वक्तव्य प्रस्तुत किए, जिसमें आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों और दुर्व्यापर पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो कमजोर समूहों के प्रति आयोग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

- **एपीएफ वार्षिक आम बैठक, बैंकॉक:** 25 सितंबर, 2024 को महासचिव श्री भरत लाल ने संयुक्त सचिव श्री देवेंद्र कुमार निम के साथ बैंकॉक, थाईलैंड में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं (एनएचआरआई) के एशिया प्रशांत मंच (एपीएफ) की 29 वीं वार्षिक आम बैठक में एनएचआरसी, भारत का प्रतिनिधित्व किया। रणनीतिक शासन चर्चाओं में शामिल होने के अलावा एपीएफ में एनएचआरसी, भारत की मूलभूत भूमिका को दोहराया गया। श्री लाल ने 'भारत में मानव अधिकार संरक्षक और नागरिक स्थान' पर एक व्याख्यान भी दिया, जिसमें उन्होंने नागरिक स्थान के संरक्षण एवंमानव अधिकार रक्षकों की सुरक्षा के लिए भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया।

- **दोहा, कतर में गनहरी ब्यूरो की बैठक:** 27 नवंबर, 2024 को, एनएचआरसी, भारत की कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीमती विजया भारती सयानी और महासचिव, श्री भरत लाल ने दोहा, कतर में गनहरी ब्यूरो की बैठक में भाग लिया। ब्यूरो की वित्त समिति के अध्यक्ष के रूप में, श्री भरत लाल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में 2024 में वित्तीय प्रगति और 2025 के लिए बजट प्रस्ताव शामिल थे। उन्होंने धन उगाहने को बढ़ाने और विविधता लाने का भी प्रस्ताव रखा। 16 सदस्यीय गवर्निंग ब्यूरो ने रिपोर्ट को अपनाया और अनुमोदित किया।

- **जिनेवा में एनएचआरआई के वैश्विक मंचों पर उच्च स्तरीय बैठकें:** मार्च, 2025 में, एनएचआरसी, अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन, ने महासचिव श्री भरत लाल के साथ, पैलेस डेस नेशंस संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, जिनेवा में उच्च स्तरीय बैठकों की एक श्रृंखला में आयोग के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इनमें एनएचआरआई के एशिया प्रशांत मंच (एपीएफ) की वार्षिक बैठकें, ब्यूरो की बैठक और राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन (गनहरी) की आम सभा, एनएचआरआई के राष्ट्रमंडल मंच (सीएफएनएचआरआई) की आम सभा और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम शामिल थे।

क्षेत्रीय सहयोग – एपीएफ

10 मार्च, 2025 को न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन और श्री भरत लाल ने एशिया प्रशांत फोरम की क्षेत्रीय नेटवर्क बैठक में भाग लिया। बैठक का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह रहा कि फिलीपींस के एनएचआरआई को मान्यता संबंधी उप-समिति (एससीए) में एशिया-प्रशांत क्षेत्र के वैकल्पिक प्रतिनिधि के रूप में चुना गया, जिसने मानव अधिकार संस्थाओं को मजबूत बनाने में क्षेत्रीय सहयोग के महत्व को रेखांकित किया।

गनहरी ब्यूरो

एनएचआरसी प्रतिनिधिमंडल ने गनहरी ब्यूरो की बैठक में भी हिस्सा लिया, जिसमें यूएनडीपी और यूएनएचआरसी के विशेष सदस्यों के रूप में भागीदारी के साथ 16 सदस्य शामिल थे। गनहरी की वित्त समिति के अध्यक्ष के रूप में श्री भरत

लाल ने समिति की वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत की। ब्यूरो के सदस्य न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन भी मौजूद थे, जिन्होंने वैश्विक मानव अधिकार समुदाय के भीतर एनएचआरसी, भारत की सक्रिय नेतृत्वकारी भूमिका की पुष्टि की। वित्त समिति - जिसमें यूके, मलावी, अल साल्वाडोर और भारत के एनएचआरआई शामिल थे - ने बजटीय आवंटन, व्यय, परियोजना वित्तपोषण और लेखा परीक्षा परिणामों सहित प्रमुख वित्तीय मामलों की समीक्षा की।

गनहरी महासभा

11 मार्च, 2025 को आयोजित गनहरी की आम सभा ने मसौदा एजेंडा को अपनाने, पिछले निर्णयों की समीक्षा, नए नेतृत्व के चुनाव और वित्तीय विवरणों को मंजूरी देने जैसे प्रमुख संगठनात्मक मामलों पर ध्यान केंद्रित किया। श्री भरत लाल ने वित्त समिति की व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें बजट पूर्वानुमान, निधि जुटाना, शुल्क छूट और लेखापरीक्षा निष्कर्षों का विवरण दिया गया। रिपोर्ट को सभा द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया। आम सभा में, एक नेतृत्व भी चुना गया: मोरक्को की राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद की अध्यक्ष सुश्री अमीना बौयाच को गनहरी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि उत्तरी आयरलैंड मानव अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त श्री एलिसन किलपैट्रिक को सचिव नियुक्त किया गया।

लैंगिक समानता पर गनहरी वार्षिक सम्मेलन

12 मार्च, 2025 को एनएचआरसी इंडिया के प्रतिनिधिमंडल ने 'महिलाओं और लड़कियों के मानव अधिकार: लैंगिक समानता को बढ़ावा देना - एनएचआरआई की भूमिका' पर केंद्रित गनहरी के वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया। यह कार्यक्रम महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों के लिए कानूनी और सामाजिक बाधाओं को दूर करने के लिए अभिनव रणनीतियों का आदान-प्रदान करने और कार्रवाई योग्य दृष्टिकोणों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सक्रिय रूप से योगदान दिया।

एनएचआरआई का राष्ट्रमंडल मंच (सीएफएनएचआरआई)

13 मार्च, 2025 को एनएचआरसी प्रतिनिधिमंडल ने सीएफएनएचआरआई की वार्षिक आम बैठक में भी भाग लिया। चर्चा 2024 एपिया घोषणा के कार्यान्वयन, सीएफएनएचआरआई (2024-2026) के लिए राष्ट्रमंडल सचिवालय (कॉमसेक) समर्थन और मंच की भविष्य की गतिविधियों के लिए रणनीतिक रोडमैप के बारे में सदस्यों के अपडेट पर केंद्रित थी।

भारत में मानव अधिकार: अवधारणा एवं विमर्श पर सेमिनार

न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के सत्र के दौरान आयोजित एक कार्यक्रम में "भारत में मानव अधिकार: अवधारणा एवं विमर्श" शीर्षक से एक ज्ञानवर्धक व्याख्यान दिया। खचाखच भरे सदन में दिए गए इस भाषण में भारत के लोकतांत्रिक चरित्र, इसके जटिल सामाजिक ताने-बाने और संस्थागत तंत्रों - जैसे एनएचआरसी और राज्य आयोगों - पर प्रकाश डाला गया, जो मानव अधिकारों की रक्षा करते हैं। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत अरिंदम बागची द्वारा संचालित इस सत्र में एक जीवंत प्रश्नोत्तर सत्र शामिल था और इसमें एनएचआरआई, राजनयिक मिशनों, गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज संगठनों और संयुक्त राष्ट्र के गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने 'मानवाधिकार: अवधारणा एवं विमर्श विषय पर एक सेमिनार को संबोधित करते हुए, साथ में महासचिव श्री भरत लाल और संयुक्त राष्ट्र संगठनों में भारत के पीआर राजदूत अरिंदम बागची भी मौजूद।

उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें

- एनएचआरसी प्रतिनिधिमंडल ने अपनी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों में भी भाग लिया: संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त श्री वोल्कर तुर्क के साथ: राजदूत अरिंदम बागची के साथ प्रतिनिधिमंडल ने वैश्विक मानव अधिकार विकास और भारत के चल रहे प्रयासों और प्राथमिकताओं पर चर्चा की।

- दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक सुश्री डॉ. हैग्रास के साथ बैठक में भारत और विश्व स्तर पर दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए चुनौतियों और रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

- भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कई एनएचआरआई के साथ बैठकें कीं और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान किया, साथ ही एनएचआरसी, भारत के काम को बड़ी संख्या में उपस्थित दर्शकों के साथ साझा किया। प्रतिनिधिमंडल ने वहां मौजूद अन्य विशेषज्ञों और नागरिक समाज संगठनों से भी बात-चीत की। संयुक्त राष्ट्र संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत अरिंदम बागची, डिप्टी पीआर राजदूत प्रियंका चौहान और जिनेवा में स्थित अन्य वरिष्ठ भारतीय राजनयिकों के साथ विस्तृत चर्चा की गई।

- मान्यता संबंधी उप-समिति (एससीए) के साथ बातचीत 18 मार्च, 2025 को एनएचआरसी, भारत के प्रतिनिधिमंडल ने आयोग की चल रही मान्यता प्रक्रिया के बारे में मान्यता पर उप-समिति के साथ गहन चर्चा की। न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन और श्री भरत लाल के नेतृत्व में हुई चर्चा में मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने में उच्चतम अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए एनएचआरसी की प्रतिबद्धता को दर्शाया गया। वैश्विक मानव अधिकार मंचों के साथ अपने निरंतर जुड़ाव के माध्यम से, एनएचआरसी, भारत देश और विदेश में सम्मान, समानता और न्याय के मूल्यों को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। अंतरराष्ट्रीय संवादों में आयोग की सक्रिय भागीदारी समावेशी, सहयोगी और अधिकार-आधारित वैश्विक शासन को आकार देने में भारत की आवाज़ को मजबूत करती है।

- जिनेवा में यूएनएचआरसी का 58वां सत्र 24 फरवरी से 4 अप्रैल, 2025 तक जिनेवा में मानव अधिकार परिषद के 58वें नियमित सत्र के दौरान, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने अपने सदस्यों और महासचिव के माध्यम से पर्यावरण, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और मानव अधिकार संरक्षकों पर विशेष प्रतिवेदकों के साथ संवाद सत्रों में तीन पूर्व-रिकॉर्ड किए गए वीडियो वक्तव्य दिए। इसमें उन्होंने एनएचआरसी, भारत के सक्रिय दृष्टिकोण और देश में इन मामलों पर किए जा रहे कार्यों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी।

- 14 मार्च, 2025 को एनएचआरसी, भारत के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ) बिद्युत रंजन षड़ंगी ने पर्यावरण पर दिये गए एक वक्तव्य में कहा कि भारत का संविधान जीवन के मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिसमें स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण शामिल है।

- 10 मार्च, 2025 को एनएचआरसी, भारत की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर एक वक्तव्य में कहा कि दिव्यांगता अधिकारों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता इसके प्रगतिशील कानून, जो विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 में दृढ़ता से परिलक्षित होती है, विभिन्न क्षेत्रों में समावेशन को बढ़ावा देता है। यूएनसीआरपीडी के साथ संरेखित यह अधिनियम दिव्यांगता समावेशन के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है।

- 6 मार्च, 2025 को भारत के एनएचआरसी के महासचिव श्री भरत लाल ने कहा कि भारत मानव अधिकार रक्षकों (एचआरडी) द्वारा मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता है। उन्होंने महात्मा गांधी को नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के सबसे बड़े समर्थक के रूप में रेखांकित किया, जिन्हें एचआरडी के रूप में काम करने वाले लोगों के लिए एक आदर्श के रूप में अपनाया जाना चाहिए।

- रणनीतिक अंतरराष्ट्रीय पहुंचविदेश संबंध परिषद, न्यूयॉर्क में गोलमेज सम्मेलन : 15 जुलाई, 2024 को महासचिव श्री भरत लाल ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में विदेश संबंध परिषद (सीएफआर) गोलमेज सम्मेलन में "मानव अधिकारों के प्रति भारत का दृष्टिकोण" विषय पर बात की। उन्होंने प्राचीन काल से भारतीय समाज में व्याप्त सहानुभूति और करुणा के गहरे लोकाचार के बारे में बात की, जो सदियों से विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के साथ-साथ अंतर्निहित रहा है।

- एस्पेन सिक्योरिटी फोरम, एस्पेन यूएसए: पर और 17 जुलाई , 2024 को महासचिव श्री भरत लाल ने अमेरिका के कोलोराडो में एस्पेन सिक्योरिटी फोरम में 'भारत: चुनौतियां और अवसर' पर बात की। इस अवसर पर राजदूत रॉबर्ट ब्लैकविल, सीएफआर में अमेरिकी विदेश नीति के लिए हेनरी ए. किसिंजर सीनियर फेलो और इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष डैनियल ट्विनिंग भी मौजूद थे। उन्होंने भारत के विकास मॉडल, लोकतांत्रिक लोकाचार और अंतरराष्ट्रीय शांति में योगदान पर बात की और कहा कि आज भारत विकास, समृद्धि और सुशासन के लिए अवसर प्रदान करता है। भारत अपनी सहानुभूति और करुणा की मूल्य प्रणाली के कारण जरूरत के समय ग्लोबल साउथ सहित अन्य देशों की सहायता करता है। भारतीय शासन का मंत्र है 'कोई भी छूट न जाए।

- वैश्विक सम्मेलनों में भागीदारी: 3 से 4 सितंबर, 2024 तक, एनएचआरसी, भारत की कार्यवाहक अध्यक्ष, श्रीमती विजया भारती सयानी ने एनएचआरसी, नेपाल द्वारा 'एनएचआरआई में लिंग समावेशन' पर आयोजित तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए काठमांडू का दौरा किया, जिसमें नेपाल के प्रधान मंत्री, श्री केपी शर्मा ओली मुख्य अतिथि

▶ एनएचआरसी, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल एस्पेन सिक्योरिटी फोरम, एस्पेन, यूएसए में भाषण देते हुए

थे। उन्होंने इस सम्मेलन के हिस्से के रूप में 'एनएचआरआई द्वारा नीति और विधायी समीक्षा में लिंग परिप्रेक्ष्य को एकीकृत करना' पर एक पैनल चर्चा में भी भाग लिया। इस बात पर जोर देते हुए कि एनएचआरआई लैंगिक समानता और समावेशी नीतिगत मुद्दों पर कैसे विचार कर सकते हैं, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि एनएचआरसी, भारत ने हमेशा ऐसे मामलों के लिए सुझाव देने और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयकों का मसौदा तैयार करने का प्रयास किया है।

- विश्व बैंक और राष्ट्रमंडल भागीदारी: अक्टूबर, 2024 में, एनएचआरसी, भारत ने विश्व बैंक के कर्मचारियों और युवा पेशेवरों के साथ-साथ वर्ल्ड वूमन फाउंडेशन के साथ बातचीत में व्यावहारिक व्याख्यान और प्रश्नोत्तर सत्र की एक श्रृंखला के माध्यम से लंदन में विश्व बैंक और राष्ट्रमंडल ब्रिज कार्यक्रमों में योगदान दिया।

- दक्षिण एशिया में मानव अधिकार और कानून का शासन: 9 अक्टूबर, 2024 को महासचिव श्री भरत लाल ने विश्व बैंक के कर्मचारियों और पेशेवरों के लिए कॉमनवेल्थ ब्रिज प्रोग्राम के तहत लंदन के मार्लबोरो हाउस में 'दक्षिण एशिया में मानव अधिकार और कानून का शासन' विषय पर व्याख्यान दिया । उन्होंने 8 दक्षिण एशियाई देशों के समृद्ध इतिहास, अनूठी संस्कृति और विविधता के बारे में विस्तार से बात की साथ ही मानव अधिकारों और कानून के शासन के लिए चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला, जैसे गरीबी और अशिक्षा, प्रदूषण और पर्यावरण क्षरण, लैंगिक असमानता, बाल श्रम का शोषण , भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता।

- दक्षिण एशिया में विकास की चुनौतियाँ: मुद्दे और समाधान : 10 अक्टूबर , 2024 को श्री भरत लाल ने विश्व बैंक के कर्मचारियों और पेशेवरों के लिए कॉमनवेल्थ ब्रिज प्रोग्राम में 'दक्षिण एशिया में विकास की चुनौतियाँ: मुद्दे और समाधान' पर मुख्य भाषण दिया। उन्होंने विश्व बैंक और बहुपक्षीय संस्थानों से परियोजनाओं की मंज़ूरी में तेज़ी लाने, व्यापक प्रभाव आकलन करने और नीतियों को राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ संरेखित करने का आग्रह किया। उन्होंने महत्वपूर्ण परियोजनाओं में देरी की आलोचना की।

- भारत और उसके बाहर मानव अधिकारों के संरक्षण एवं प्रगति को गति देना: 14 अक्टूबर, 2024 को श्री लाल ने बीबीसी के साथ साझेदारी में ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वर्ल्ड वूमन फाउंडेशन में 'भारत और उसके बाहर मानव अधिकारों के संरक्षण एवंप्रगति को गति देना' विषय पर बात की। चर्चा में, जिसमें एचआरएच प्रिंसेस बीट्राइस, बैरोनेस सैंडी वर्मा और दुनिया भर की प्रभावशाली महिला नेताओं ने भाग लिया, उन्होंने भारत की विकास यात्रा पर प्रकाश डाला जो अब महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने से महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने तक आगे बढ़ गई है। उन्होंने पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, जन धन खाते और जल जीवन मिशन जैसी सरकारी पहलों का हवाला दिया, जो 2014 में महिलाओं की कार्यबल भागीदारी को लगभग 18% से बढ़ाकर आज 27% से अधिक करने में सहायक रही हैं। उन्होंने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भूमिका पर भी प्रकाश डाला, जो युवा महिलाओं के लिए सुरक्षित, संरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थलों को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

- विश्व महिला दावोस एजेंडा : एनएचआरसी, भारत के महासचिव को 22-23 जनवरी, 2025 को दावोस, स्विटजरलैंड में आयोजित विश्व महिला दावोस एजेंडा 2025 में मुख्य भाषण देने का सम्मान मिला । ' भारत की समानता की यात्रा' शीर्षक वाले सत्र के मुख्य वक्ता के रूप में, महासचिव ने सभी नागरिकों, विशेषकर महिलाओं के लिए समानता, सम्मान और सशक्तीकरण सुनिश्चित करने की दिशा में भारत की प्रगतिशील यात्रा पर प्रकाश डाला। यह सत्र राष्ट्रीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर मानव अधिकारों, लैंगिक समानता और सामाजिक-आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देने में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

- जिनेवा में उच्च स्तरीय नीति संवाद : 26 मार्च, 2025 को महासचिव श्री भरत लाल ने इंडिया वाटर फाउंडेशन द्वारा जिनेवा में आयोजित 'घटते ग्लेशियरों की सुरक्षा के लिए सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देना' विषय पर उच्च स्तरीय नीति संवाद में मुख्य भाषण दिया। श्री लाल ने इस बात पर जोर दिया कि पानी की उपलब्धता केवल एक आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक मौलिक मानव अधिकार है। जल सुरक्षा सुनिश्चित करना सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसकी कमी सामाजिक-आर्थिक विकास में बाधा डालती है, आजीविका को बाधित करती है और भू-राजनीतिक तनाव को बढ़ाती है।

वैश्विक दक्षिण के एनएचआरआई की क्षमता निर्माण

दूसरा आईटीईसी कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम – नवंबर, 2024

एनएचआरसी, भारत ने 11 से 16 नवंबर 2024 तक , विदेश मंत्रालय के सहयोग से भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) ढांचे के तहत अपने दूसरे छह दिवसीय कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम की मेजबानी की। कार्यक्रम में जॉर्डन, मालदीव, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, श्रीलंका और थाईलैंड सहित आठ देशों के 33 प्रतिभागियों का स्वागत किया गया।

कार्यक्रम में डिजिटल सुरक्षा, सामाजिक-आर्थिक अधिकार, अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार कानून, एनएचआरसी की शिकायत निवारण प्रणाली और नागरिक समाज के साथ सहयोग जैसे विषयों पर डोमेन विशेषज्ञों द्वारा संचालित 19 तकनीकी सत्र शामिल थे। प्रतिभागियों ने क्यूरेटेड फील्ड विजिट के माध्यम से भारतीय कला और संस्कृति का भी अनुभव किया।

एनएचआरसी की कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीमती विजया भारती सयानी और महासचिव श्री भरत लाल ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। भारत के विदेश सचिव श्री विक्रम मिस्री ने समापन भाषण देते हुए भारतीय संविधान के मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के साथ तालमेल पर जोर दिया। प्रतिभागियों ने कार्यक्रम को "ज्ञानवर्धक" और दक्षिण-दक्षिण एकजुटता की दिशा में एक मूल्यवान कदम बताया।

तीसरा आईटीईसी कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम – मार्च 2025

एनएचआरसी, भारत ने 3 से 8 मार्च 2025 के बीच, आईटीईसी बैनर के तहत अपना तीसरा कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें 11 देशों : मेडागास्कर, युगांडा, तिमोर लेस्ते, डीआर कांगो, टोगो, माली, नाइजीरिया, मिस्र, तंजानिया, बुरुंडी और तुर्कमेनिस्तान के एनएचआरआई के 35 वरिष्ठ पदाधिकारियों की भागीदारी हुई।

एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन, वरिष्ठ अधिकारियों और पूर्व राजदूतों सहित उच्च-स्तरीय गणमान्य व्यक्तियों द्वारा संचालित सत्रों में स्वास्थ्य सेवा, लोकतंत्र, साइबर सुरक्षा, कानूनी विकास और एनएचआरसी की भागीदारी जैसे विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित किया गया। महासचिव, श्री भरत लाल ने वैश्विक दक्षिण के भीतर सहयोग के महत्व पर जोर दिया और साझेदार एनएचआरआई के लिए एनएचआरसी, भारत की शिकायत निवारण प्रणाली की पेशकश की।

▶ एनएचआरसी आईटीईसी कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र जारी

कार्यक्रम में सांस्कृतिक विसर्जन यात्राएँ भी शामिल थीं और वैश्विक मानव अधिकार सहयोग के बारे में प्रेरक टिप्पणियों के साथ समापन हुआ। प्रतिभागियों को सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया और एनएचआरसी ने भविष्य के सहयोग और गहन जुड़ाव के लिए संभावित समझौता ज्ञापनों के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

द्विपक्षीय बैठकें और प्रतिनिधिमंडल के दौरे

पूरे वर्ष के दौरान, एनएचआरसी इंडिया ने यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, यूके, नीदरलैंड, जर्मनी, फिनलैंड, डेनमार्क और कई शैक्षणिक संस्थानों और थिंक टैंकों से प्रतिनिधिमंडलों का स्वागत किया। इन बातचीत से विचारों का रचनात्मक आदान-प्रदान संभव हुआ और एनएचआरसी, भारत की वैश्विक भागीदारी को और बढ़ावा मिला। आयोग ने विश्व बैंक , यूएनएचसीआर और कई राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के साथ भी संपर्क किया।

प्रकाशन एवं पुस्तकालय

अप्रैल, 2024 से मार्च, 2025 तक आयोग ने तीन प्रकाशन किए। इनमें शामिल हैं- वार्षिक हिंदी और अंग्रेजी पत्रिकाएँ, जिनमें विशेषज्ञों द्वारा मानव अधिकार मुद्दों पर विद्वत्तापूर्ण लेख प्रकाशित किए गए, तथा देश में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए एनएचआरसी द्वारा जारी किए गए परामर्शी शीर्षक से एक संग्रह। इसके सौ से ज़्यादा प्रकाशनों में से ज़्यादातर वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। एनएचआरसी लाइब्रेरी में दो ऑनलाइन डेटाबेस यानी SCC और मनुपत्र हैं, जो पुस्तकालयों के बीच संसाधन साझा करने के लिए DELNET के सदस्य होने के नाते एनआईसी के ई- ग्रंथालय के साथ एकीकृत है।

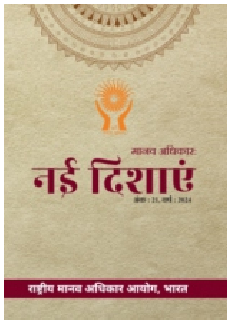

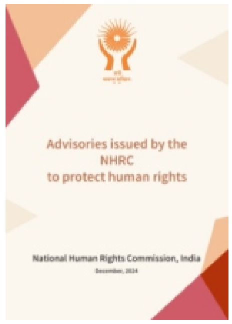

मीडिया इंटरफ़ेस

आयोग अपने हस्तक्षेपों और गतिविधियों के माध्यम से मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता फैलाने में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। अंग्रेजी और हिंदी में अपने समृद्ध मासिक समाचार पत्र के व्यापक प्रसार के अलावा, वर्ष के दौरान आयोग के एक्स हैंडल पर लगभग 146 प्रेस विज्ञप्तियाँ और 2,500 से अधिक महत्वपूर्ण पोस्ट और रीपोस्ट जारी किए गए। एनएचआरसी के हस्तक्षेपों और गतिविधियों के बारे में विभिन्न समाचार पत्रों और पत्रिकाओं से 5000 से अधिक क्लिपिंग्स थीं।

पुरस्कार

आयोग मानव अधिकार संवेदनशीलता प्रयासों में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है और प्रतिभागियों को पुरस्कृत करता है।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए एनएचआरसी वाद-विवाद प्रतियोगिता

आयोग केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए मानव अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए विभिन्न समसामयिक विषयों पर वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित करता रहा है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने 29 वीं वार्षिक वाद-विवाद प्रतियोगिता के अंतिम दौर में जीत हासिल करते हुए समग्र सर्वश्रेष्ठ टीम रोलिंग ट्रॉफी जीती, जिसमें 16 प्रतिभागियों ने हिंदी और अंग्रेजी में प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में बहस की। हिंदी और अंग्रेजी में वाद-विवाद प्रतियोगिता का विषय था 'किसी भी स्थिति में हिरासत में मौत स्वीकार्य नहीं है।'

ऑनलाइन मानव अधिकार फोटोग्राफी प्रतियोगिता, 2024

एनएचआरसी, भारत ने माईगव पोर्टल के सहयोग से मानव अधिकारों पर छह समर्पित विषयों पर स्थिर तस्वीरों की प्रविष्टियाँ भी आमंत्रित कीं। कुल 642 वैध प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं, जिनमें माईगव पर 471 और इसकी वेबसाइट पर 171 प्रविष्टियाँ शामिल हैं। एक तस्वीर को 5,000/- रुपये के तीसरे पुरस्कार के लिए और 5 को 2,000/- रुपये के सांत्वना पुरस्कार के लिए चुना गया।

एनएचआरसी लघु फिल्म पुरस्कार 2024

एनएचआरसी की मानव अधिकार लघु फिल्म पुरस्कार योजना 2015 मानव अधिकार जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए नागरिक केंद्रित पहल के रूप में लोकप्रियता प्राप्त करने वाले प्रमुख कार्यक्रमों में से एक के रूप में विकसित हुई है। 2024 में इस प्रतियोगिता के दसवें संस्करण के लिए, देश के विभिन्न हिस्सों से विभिन्न भारतीय भाषाओं में निर्धारित समय के भीतर रिकॉर्ड 303 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं। जिनमें से, तीन-स्तरीय कठोर जूरी प्रक्रिया के बाद 243 प्रविष्टियाँ पुरस्कार के लिए दौड़ में थीं। जम्मू और कश्मीर के इंजीनियर अब्दुल रशीद भट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म ' दूध गंगा- वैलीज डाइंग लाइफलाइन' को 2 लाख रुपये के प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया। आंध्र प्रदेश के कदारप्पा राजू की 'फाइट फॉर राइट्स' को 1.5 लाख रुपये के दूसरे पुरस्कार के लिए चुना गया। तमिलनाडु के श्री आर. वी. चंद्रन की गॉड को 1 लाख रुपये के तृतीय पुरूस्कार के लिए चुना गया।

इसके अतिरिक्त, चार फिल्मों को 'विशेष उल्लेख प्रमाणपत्र' से सम्मानित किया गया, जिनमें से प्रत्येक को 50,000 रुपये दिए गए। इनमें शामिल हैं: श्री हनीश की ' अक्षराभ्यासम ' उन्द्रमाटला , विलायिला तमिलनाडु के श्री आर. सेल्वम की ' पट्टाथारी (एक सस्ता स्नातक), आंध्र प्रदेश के श्री मदका वेंकट सत्यनारायण की 'लाइफ ऑफ सीता' और आंध्र प्रदेश के श्री लोटला नवीन की 'बी ए ह्यूमन'। विजेताओं को सम्मानित करने के लिए आयोग ने पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया। विजेता फिल्मों को मानव अधिकार जागरूकता और संवेदनशीलता के लिए व्यापक प्रसार हेतु आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

आयोग अपने कर्मचारियों के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। इनमें लैंगिक संवेदनशीलता कार्यक्रम, स्लोगन लेखन, कर्मचारियों के बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता, हिंदी पखवाड़ा , महिला कर्मचारियों के लिए क्राव मागा आत्मरक्षा प्रशिक्षण आदि शामिल हैं। 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च , 2025 तक के वर्ष के दौरान एनएचआरसी, भारत की नई पहल और विविध गतिविधियों ने पूरे भारत में मानव अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ गति बनाए रखी। इनमें निगरानी, वकालत, कानूनी हस्तक्षेप और विभिन्न हितधारकों के साथ सहयोग का संयोजन शामिल था।

ख़बरों में मानव अधिकार एवं एनएचआरसी

सर्वे
भवन्तु सुखिनः

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

शिकायत दर्ज करने के लिए एनएचआरसी के महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर

टोल फ्री नंबर: 14433 (सुविधा केंद्र) फैक्स नंबर: 011-2465 1332

ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने के लिए: www.nhrc.nic.in, hrcnet.nic.in,

सामान्य सेवा केंद्र ईमेल: complaint.nhrc@nic.in (शिकायतों के लिए), cr.nhrc@nic.in (सामान्य प्रश्नों/पत्राचार के लिए)

मानव अधिकार संरक्षकों के लिए फोकल पॉइंट:

इंद्रजीत कुमार, उप रजिस्ट्रार (विधि)

मोबाइल नंबर +91 99993 93570 • फैक्स नंबर 011-2465 1334 • ई-मेल: hrd-nhrc@nic.in

प्रकाशक एवं मुद्रक: महासचिव, एनएचआरसी

विबा प्रेस प्राइवेट लिमिटेड में मुद्रित, सी-66/3, ओखला इंडस्ट्रीयल क्षेत्र, चरण- II, नई दिल्ली-110020 और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से प्रकाशित

मानव अधिकार भवन, ब्लॉक-सी, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली-110023

हिंदी संस्करण : अनूदित : हिंदी अनुभाग : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

covdnhrc@nic.in www.nhrc.nic.in @India_NHRC

RNI No. 61957/95